झारखण्ड सरकार
विधि विभाग

सत्यमेव जयते

झारखण्ड निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2024

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

विषय सूची

प्रस्तावना

उद्देश्य तथा कारण

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

2. परिभाषाएँ

3. निजी विश्वविद्यालय की स्थापना

4. निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की शर्तें

5. निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आवेदन

6. परियोजना प्रतिवेदन

7. जाँच समिति

8. आशय पत्र और अनुपालन

9. नए विश्वविद्यालय की स्थापना या निगमन

10. निजी विश्वविद्यालय का प्रारंभ

11. अनुदान और वित्तीय सहायता

12. निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्य

13. निजी विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

14. नामांकन एवं शुल्क

15. निजी विश्वविद्यालय के पदाधिकारी

16. विजिटर/आगंतुक

17. कुलाधिपति

18. कुलपति

19. कुलसचिव

20. संकायाध्यक्ष और निदेशक

21. मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी

22. परीक्षा नियंत्रक

23. अन्य पदाधिकारी

24. निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

25. शासी निकाय

26. प्रबंधन बोर्ड

27. अकादमिक परिषद्

28. वित्त समिति

29. योजना बोर्ड

30. निजी विश्वविद्यालय के संकाय बोर्ड, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और अन्य प्राधिकरण

31. परिनियम बनाने की शक्ति

32. परिनियम कैसे बनाए जाएँगे

33. अध्यादेश एवं विनियम बनाने की शक्ति

34. अध्यादेश एवं विनियम कैसे बनाए जायेंगे

35. वार्षिक प्रतिवेदन

36. वार्षिक लेखा

37. कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

38. निजी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं में प्रवेश

39. कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन

40. प्राधिकरणों और निकायों के गठन के संबंध में विवाद

41. समितियों का गठन

42. रिक्तियों का भरा जाना

43. निजी विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना

44. निजी विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

45. निजी विश्वविद्यालय के अभिलेखों को प्रमाणित करने का तरीका

46. स्थायी विन्यास निधि:-

47. सामान्य निधि

48. विकास निधि

49. निधि का अनुरक्षण

50. सूचना और अभिलेख मांगने की सरकार की शक्ति

51. निजी विश्वविद्यालय का विघटन

52. विघटन के दौरान निजी विश्वविद्यालय का व्यय

53. सरकार द्वारा निजी विश्वविद्यालय की मान्यता समाप्त करना

54. निजी विश्वविद्यालय को नीतिगत मामलों पर निर्देश जारी करने की सरकार की शक्ति

55. विघटन या मान्यता रद्द होने पर संपत्ति एवं देनदारियों की स्थिति

56. नियम बनाने की सरकार की शक्तियाँ

57. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

58. स्वचालन और पारदर्शिता

59. झारखण्ड के न्यायालय में विवादों का निष्पादन किया जाएगा

60. निरसन तथा संरक्षण

अनुसूची/ Schedule-I

अनुसूची/ Schedule-II

अनुसूची/ Schedule-III

अनुसूची/ Schedule-IV

अनुसूची/ Schedule-V

परिशिष्ट/Annexure-1

Checklist for Evaluation of Proposal Submitted by Sponsoring Body

परिशिष्ट/Annexure-2

Letter of Intent (LoI) for establishing new Private University in Jharkhand

परिशिष्ट/Annexure-3

Letter of Incorporation for incorporating new Private University in Jharkhand

परिशिष्ट/Annexure-4

Letter of Approval for Commencement of New Private University in Jharkhand

परिशिष्ट/Annexure-5

Letter of Adherence for existing Private University

परिशिष्ट/Annexure-6

Letter of Approval for existing Private University

झारखण्ड निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2024

प्रस्तावना

प्रायोजक निकाय द्वारा निजी क्षेत्र में एकात्मक प्रकृति के विश्वविद्यालयों को झारखंड राज्य में स्थापित करने और शामिल करने अर्थात ट्रस्ट या सोसायटी या गैर-लाभकारी कंपनियों को शिक्षा और संबद्ध विकास क्षेत्रों के लिए उत्कृष्ट नेतृत्व, अनुसंधान, ज्ञान और विचारों के विकास के माध्यम से बढ़ावा देने, अवधारणा बनाने और एक आदर्श बदलाव लाने के लिए और साथ ही राज्य में विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए एक विधेयक।

भारत गणराज्य के 75 वें वर्ष में झारखण्ड राज्य के विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

उद्देश्य तथा कारण: -

उद्देश्यों तथा कारणों की विवरणी :- दिनांक 1 सितम्बर, 2014 के आदेशानुसार मानक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत विभिन्न अधिनियमों द्वारा निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं निगमन किया गया है। चूंकि अलग-अलग विश्वविद्यालयों के अलग-अलग अधिनियमों में अलग-अलग प्रावधान हैं तथा इस प्रकार से निजी विश्वविद्यालयों के अनुश्रवण के लिए एक समान प्रावधान नहीं है, अतः राज्य सरकार की नीतियों को लागू तथा कार्यान्वित करना, सूचना और अभिलेख एकत्र करना और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के मानकों को लागू करना कठिन हो गया है।

अतः यह निर्णय लिया गया है कि झारखंड राज्य में सभी निजी विश्वविद्यालयों को एक सामान्य कानून के तहत शासित करने के लिए एकीकृत अधिनियम बनाया जाए।

तदनुसार झारखण्ड निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2024 प्रस्तुत किया जाता है।

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ:-**

   (1) इस अधिनियम को झारखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 कहा जाएगा।

   (2) यह उस तिथि को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करें।

   (3) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

2. **परिभाषाएँ :-** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

   (क) "अकादमिक परिषद" से तात्पर्य है इस अधिनियम की धारा 27 के तहत गठित एक निजी विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद;

   (ख) "ए०आई०सी०टी०ई०" से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (1987 का केंद्रीय अधिनियम 52) की धारा-3 के तहत स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद;

(ग) "बी0सी0आई0" से अभिप्रेत है अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का केंद्रीय अधिनियम 25) की धारा-4 के तहत स्थापित बार काउंसिल ऑफ इंडिया;

(घ) "प्रबंधन बोर्ड" से अभिप्रेत है धारा-26 के तहत गठित एक निजी विश्वविद्यालय का प्रबंधन बोर्ड;

(ङ) "कुलाधिपति", एवं "कुलपति" का अर्थ है, क्रमशः निजी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं कुलपति;

(च) "संकायाध्यक्ष एवं निदेशक" से तात्पर्य है विभाग या संस्थान, केंद्र या विद्यापीठ के प्रमुख या इनकी अनुपस्थिति में इस तरह के कार्य करने के उद्देश्य से नियुक्त व्यक्ति;

(छ) "विभाग" से तात्पर्य है एक निजी विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग, जिसमें अध्ययन और अनुसंधान केंद्र शामिल हैं;

(ज) "कर्मचारी" से तात्पर्य है निजी विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, जिसमें एक शिक्षक या निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का कोई अन्य सदस्य शामिल हैं;

(झ) "स्थापित शिक्षण संस्थान" का अर्थ मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला कॉलेज या संस्थान है।

(ञ) "संकाय" से अभिप्रेत है एक निजी विश्वविद्यालय का एक संकाय;

(ट) "सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार;

(ठ) "शासी निकाय" से अभिप्रेत है धारा-25 के तहत गठित शासी निकाय;

(ड) "छात्रावास" का अर्थ है निजी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या निजी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त विद्यार्थियों के निवास की एक इकाई;

(ढ) "आई०सी०ए०आर०" से तात्पर्य है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम 21) के तहत पंजीकृत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद;

(ण) "जांच प्राधिकरण या अधिकारी" का अर्थ इस अधिनियम की धारा-53 (3) के तहत सरकार द्वारा नियुक्त समिति से है।

(त) "एम0सी0आई0" का अर्थ है चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम 102) के तहत गठित मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया;

(थ) "बहुविषयक" से तात्पर्य है मानविकी और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अभियंत्रण तथा प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान, शिक्षा, विधि, कृषि, पशु चिकित्सा और ज्ञान की अन्य शाखाओं में अध्ययन;

(द) "एन०सी०टी०ई०" का अर्थ है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 (1993 का केंद्रीय अधिनियम 73) के तहत स्थापित राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद;

(ध) "नैक" से तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से है;

(न) "पी०सी०आई०" से अभिप्रेत है फार्मेसी अधिनियम, 1948 (1948 का केंद्रीय अधिनियम 8) की धारा-4 के तहत गठित भारतीय फार्मेसी परिषद;

(प) "विहित" से अभिप्रेत है नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित;

(फ) "निजी विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है धारा-3 के तहत स्थापित एक विश्वविद्यालय;

(ब) "कुलसचिव", "परीक्षा नियंत्रक", "वित्त पदाधिकारी" का अर्थ है एक निजी विश्वविद्यालय के क्रमशः, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक तथा वित्त पदाधिकारी;

(भ) "नियामक संस्था" से अभिप्रेत एवं सम्मिलित हैं उच्च शिक्षा के मानकों के रख-रखाव के लिए स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी०), ए०आई०सी०टी०ई०, एन०सी०टी०ई०, एम०सी०आई०, पी०सी०आई०, आई०सी०ए०आर०, बी०सी०आई० जैसे निकाय सम्मिलित हैं;

(म) "नियम" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-56 के तहत बनाए गए नियम;

(य) "अनुसूची" से तात्पर्य है इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची-I, अनुसूची- II, अनुसूची-III, अनुसूची- IV, अनुसूची-V ;

(क क) "जाँच समिति" का अर्थ है धारा-7 के अधीन गठित समिति;

(क ख) "प्रायोजक निकाय" का अर्थ है भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केंद्रीय अधिनियम 2) के तहत पंजीकृत एक न्यास या सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी; या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केंद्रीय अधिनियम 13) की धारा-8 के तहत पंजीकृत एक कंपनी;

(क ग) "राज्य" से तात्पर्य है झारखण्ड राज्य;

(क घ) "परिनियम", "अध्यादेश" एवं "विनियम" से तात्पर्य है क्रमशः निजी विश्वविद्यालय के इस अधिनियम के अंतर्गत निर्मित परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम;

(क ङ) "विद्यार्थी" से अभिप्रेत है एक निजी विश्वविद्यालय के पंजी में नामांकित विद्यार्थी;

(क च) "शिक्षक" का अर्थ है प्राध्यापक, सह- प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें एक निजी विश्वविद्यालय द्वारा निर्देश देने या विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित संस्थान में निर्धारित यू०जी०सी० मानदंडों के अनुरूप अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है तथा जो अध्यादेशों द्वारा शिक्षकों के रूप में नामित हो; एवं

(क छ) "यू0जी0सी0" का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का केंद्रीय अधिनियम 3) की धारा-4 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।

3. निजी विश्वविद्यालय की स्थापना:-

(1) सरकार किसी भी प्रायोजक निकाय द्वारा निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुमति निजी विश्वविद्यालय के नाम, उसके स्थान और प्रायोजक निकाय के विवरण को अनुसूची-III (झारखण्ड

निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 के अधिनियमन के बाद नए निजी विश्वविद्यालयों की सूची) में शामिल करके दे सकती है।

(2) निजी विश्वविद्यालय एक बहु-विषयक विश्वविद्यालय होगा। यह झारखण्ड राज्य के अंतर्गत अवस्थित होगा।

(3) निजी विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा, उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुहर होगी और वह उक्त नाम से वाद चला सकेगा एवं उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

(4) निजी विश्वविद्यालय एकात्मक प्रकार का होगा, जिसे किसी महाविद्यालय या संस्थान को संबद्धता या मान्यता देने की शक्ति नहीं होगी।

(5) निजी विश्वविद्यालय राज्य में ऐसे स्थानों पर घटक कॉलेज, क्षेत्रीय केंद्र, अतिरिक्त परिसर और अध्ययन केंद्र स्थापित कर सकता है, जहां वह सरकार से अनुमोदन के अधीन और यू०जी०सी० और अन्य नियामक निकायों के मानदंडों के अनुरूप उचित समझे।

4. **निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की शर्तें:-** इस अधिनियम के अधीन निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयोजन के लिए प्रायोजक निकाय निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा:-

(1) न्यूनतम सन्निहित भूमि पर दखल:-

(क) नगर निगम सीमा के भीतर न्यूनतम 05 एकड़ भूमि; तथा

(ख) नगर निगम सीमा के बाहर न्यूनतम 15 एकड़ भूमि

इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "दखल" का अर्थ स्वामित्व या एक पट्टेदार के रूप में तीस साल की न्यूनतम अवधि के लिए स्थायी पट्टा के माध्यम से दखल के रूप में है:

परंतु यह कि प्रायोजक निकाय द्वारा स्थापित एक महाविद्यालय या शैक्षिक संस्थान के नाम पर भूमि भी इस अधिनियम के तहत एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयोजन के लिए एक प्रायोजक निकाय द्वारा विधिवत दखल के रूप में मानी जाएगी:

परंतु यह कि प्रायोजक निकाय ऐसी भूमि या उसके किसी हिस्से का विक्रय, हस्तांतरण या पट्टे पर नहीं दे सकेगा और विश्वविद्यालय के कामकाज के लिए इस अधिनियम में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी इसका उपयोग नहीं करेगा:

परन्तु यह भी कि ऐसी भूमि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ऋण लेने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित बैंक या वित्तीय संस्था के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पास गिरवी नहीं रखी जाएगी।

(2) निम्न अनुसार एक स्थायी विन्यास निधि सृजित करें:-

(क) नगर निगम सीमा के अंतर्गत भूमि के लिए 10 करोड़ रुपये; तथा

(ख) नगर निगम सीमा से बाहर की भूमि के लिए 7 करोड़ रुपये।

(3) पुस्तकालय, व्याख्यानशाला, सभागार, विद्यार्थी संसाधन केंद्र, खेल सुविधाएँ और प्रयोगशालाओं सहित प्रशासनिक और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए न्यूनतम 12000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र की धारा 4(1) में निर्दिष्ट भूमि पर निर्माण करे। शिक्षकों के लिए पर्याप्त आवासीय आवास, अतिथिशाला, छात्रावासों का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसे अस्तित्व के 3 वर्षों के अंदर प्रत्येक पाठ्यक्रम में कम से कम 25% विद्यार्थियों की संख्या को समायोजित करने के लिए धीरे-धीरे विस्तारित किया जाएगा। विश्वविद्यालय को हरित परिसर के सिद्धांतों पर निर्मित किया जाना चाहिए, जिसमें ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए तथा जल संचयन सुविधाओं की स्थापना की जानी चाहिए। यदि विश्वविद्यालय पेशेवरों के अध्ययन के कार्यक्रम का संचालन कर रहा है, तो यू०जी०सी० और संबंधित नियामक निकाय के प्रचलित मानदंड और मानक लागू होंगे।

(4) धारा-4(3) में उल्लिखित भवन के अतिरिक्त यू०जी०सी० और संबंधित नियामक निकाय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार उपकरण, कंप्यूटर, फर्नीचर, संपत्ति, बुनियादी सुविधाएँ और अन्य उपभोग्य और गैर-उपभोग्य वस्तुओं को अधिष्ठापित करे।

(5) यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित मानकों और विनियमों के अनुसार शिक्षण के उद्देश्यों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करें, यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित योग्यता वाले कम से कम एक प्राध्यापक, दो सह-प्राध्यापक और तीन सहायक प्राध्यापकों तथा प्रत्येक विभाग या विषयों में आवश्यक सहायक कर्मियों की नियुक्ति करें। प्रत्येक विभाग/विषयों में कम से कम पचहत्तर प्रतिशत नियमित शिक्षक विश्वविद्यालय के नियमित कर्मी होंगे। विश्वविद्यालय झारखंड राज्य में अधिवासित व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय में गैर-शिक्षण पदों की कुल संख्या के कम से कम पचहत्तर प्रतिशत की सीमा तक गैर-शिक्षण पदों के आरक्षण का प्रावधान करेगा। सीटों का आरक्षण समय-समय पर राज्य सरकार के नियमों और आदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(6) समकालीन शिक्षण और अनुसंधान के लिए पुस्तकालय सुविधाओं को पर्याप्त बनाने के लिए यू०जी०सी० और संबंधित नियामक निकायों के मानदंडों के अनुसार पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं एवं ऑनलाइन संसाधनों का क्रय करे तथा प्रथम तीन वर्षों के अंदर कम से कम 50 लाख या यू०जी०सी० एवं अन्य नियामक निकायों के मानदंडों के अनुसार, पुस्तकों, पत्रिकाओं, पत्रिकाओं, ऑनलाइन संसाधनों, कंप्यूटर, पुस्तकालय नेटवर्किंग, और अन्य सुविधाओं पर, जो भी अधिक हो, निवेश करने का शपथ पत्र दे।

5. निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आवेदन:-

(1) इस अधिनियम के तहत एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए इच्छुक कोई भी प्रायोजक निकाय सरकार को निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से एक आवेदन समर्पित करेगा, जिसमें प्रस्तावित निजी

विश्वविद्यालय के उद्देश्य तथा दृष्टिकोण की रूपरेखा, इस तरह के परियोजना प्रतिवेदन एवं विवरण के साथ विहित पांच लाख (5 लाख) रुपये का शुल्क सम्मिलित होगा। एक प्रायोजक निकाय;

(क) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 21) एवं समय-समय पर यथा संशोधित के तहत पंजीकृत एक सोसायटी होना चाहिए; या

(ख) राज्य लोक न्यास अधिनियम, या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 2) एवं समय-समय पर यथा संशोधित या किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित कानूनों के तहत पंजीकृत कोई भी सार्वजनिक न्यास होना चाहिए; या

(ग) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-25 (वर्तमान में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-8) एवं समय-समय पर यथा संशोधित के तहत पंजीकृत एक कंपनी होनी चाहिए।

(2) संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी शिकायत के मामले में प्रायोजक निकाय सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से संपर्क कर सकता है।

6. परियोजना प्रतिवेदन:-

(1) परियोजना प्रतिवेदन में धारा-5 के तहत निर्धारित विवरणी के अतिरिक्त निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-

(क) प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता के संबंध में औचित्य;

(ख) प्रायोजक निकाय की विवरणी के साथ इसके भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केंद्रीय अधिनियम 2) या सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या कंपनी अधिनियम, 2013, (2013 का केंद्रीय अधिनियम 13) के तहत, जैसा भी मामला हो पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतियाँ, और चाहे अल्पसंख्यक (धार्मिक या भाषाई);

(ग) प्रस्तावित विषयों में ट्रैक रिकॉर्ड, अनुभव और डोमेन विशेषज्ञता;

(घ) प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय का नाम, स्थान और मुख्यालय;

(ङ) निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्य;

(च) प्रायोजक निकाय के पास शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के साथ शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता, यदि कोई हो ;

(छ) परिसर के विकास के लिए योजनाओं यथा-भवनों का निर्माण, संरचनात्मक सुविधाएँ और आधारभूत सुविधाओं का विकास तथा निजी विश्वविद्यालय प्रारंभ करने के लिए उपकरणों का क्रय की विवरणी;

(ज) पूंजीगत व्यय का चरणबद्ध परिव्यय और इसके वित्तीय स्रोत;

(झ) निजी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जाने वाले कार्यक्रमों तथा अध्ययन, अनुसंधान और नवाचार के पाठ्यक्रमों की प्रकृति एवं प्रकार;

(ञ) प्रारंभ की जाने वाली प्रस्तावित सुविधाओं की प्रकृति;

(ट) संसाधन जुटाने की योजना और उसकी पूंजी लागत तथा ऐसे स्रोतों को अदायगी का तरीका;

(ठ) आंतरिक रूप से उत्पन्न राजस्व के स्रोतों के विस्तृत विश्लेषण के साथ अनुमानित विस्तृत वित्तीय विवरण और प्रमुख परिचालन अनुपात;

(ड) निजी विश्वविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों का चयन करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रस्तावित प्रणाली;

(ढ) निजी विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु प्रस्तावित प्रणाली;

(ण) निजी विश्वविद्यालय द्वारा किए जाने वाले विशेष शिक्षण, प्रशिक्षण या अनुसंधान गतिविधियों की प्रकृति, जिसमें स्थानीय जरूरतों को भी शामिल किया जाय, ताकि विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके;

(त) खेल के मैदानों और अन्य उपलब्ध सुविधाओं या खेल और खेलकूद एवं पाठ्येतर गतिविधियों जैसे राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए प्रस्तावित निर्माण की विवरणी;

(थ) अकादमिक और अनुसंधान उत्कृष्टता के लिए प्रस्तावित दृष्टिकोण और प्रारंभिक योजनाऐं, जिसमें अपेक्षित प्रत्यायन तथा अकादमिक अंकेक्षण शामिल हैं;

(द) निजी विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग विद्यार्थियों सहित आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े परिवारों के विद्यार्थियों को शुल्क तथा छात्रवृत्ति में रियायत या छूट, यदि कोई हो;

(ध) राज्य की नीतियों जैसे औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति, स्टार्टअप नीति, ऊर्जा नीति, स्वास्थ्य नीति, खनन नीति आदि के साथ खुद को संरेखित करने की प्रतिबद्धता, जिसके लिए उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ बातचीत और सहयोग की आवश्यकता होती है।

(न) नियामक निकायों के मानदंडों का पालन करने की प्रतिबद्धता;

(प) ऐसे अन्य विवरण जो प्रायोजक निकाय प्रदान करना चाहे;

(फ) ऐसे अन्य विवरण जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए जा सकते हैं।

प्रायोजक निकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के मूल्यांकन के समय जांच समिति के तत्काल संदर्भ के लिए परियोजना प्रतिवेदन के प्रमुख अवयवों का एक जांच पत्रक परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है।

(2) धारा-6(1) में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन करने के अलावा, मौजूदा शैक्षणिक संस्थान द्वारा अपने प्रायोजक निकाय के माध्यम से निजी विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए आवेदन करना, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नए सिरे से आवेदन प्रक्रिया के रूप में माना जाएगा, हालांकि, इसे निम्नलिखित अतिरिक्त पात्रता/अनुपालन मानदंडों को पूरा करना चाहिए : -

(क) संस्थान को पिछले पांच वर्षों का अंकेक्षित लेखा समर्पित करना होगा;

(ख) संस्थान, संबंधित नियामक निकायों/परिषदों द्वारा अनुमोदित संस्थान होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि संस्थान आवेदन करने के समय पूर्व से ही किसी राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध है तो संस्थान को राज्य विश्वविद्यालय से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा;

(ग) संस्थान को यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, एम0सी0आई0, डी0सी0आई0, एन0सी0टी0ई0, बी0सी0आई0, आई0एन0सी0 आदि जैसे संबंधित नियामक निकायों से अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए भी अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए;

(घ) आवेदन करते समय संस्थान के पास संबंधित वैधानिक/नियामक निकायों द्वारा निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक और भौतिक अवसंरचना होनी चाहिए;

(3) निजी विश्वविद्यालय की स्थिति के लिए मौजूदा शैक्षणिक संस्थान द्वारा किए गए एक आवेदन को धारा-3, धारा-4, धारा-5, और धारा-6 (1) और 6 (2) के तहत उल्लिखित शर्तों, आवेदनों और स्थापना के लिए प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। उपर्युक्त अनुभागों में उल्लिखित कुछ भी होने के बावजूद, मौजूदा संस्थान आशय पत्र औ जारी होने या अंतिम बैच के पारित होने के बाद चार साल की अवधि तक, जो भी पहले हो, उनके मौजूदा संबद्धता और अनुमोदन के आधार पर कार्य करना जारी रखेगा।

7. जाँच समिति:-

(1) सरकार एक नया निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रायोजक निकाय से प्राप्त आवेदनों और प्रस्तावों की जांच करने के लिए जाँच समिति का गठन करेगी, जो एक स्थायी निकाय होगा। जाँच समिति इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, यदि और जब आवश्यक हो, और किसी भी संबंधित कार्य को करने के लिए नियम बनाने के लिए जिम्मेदार निकाय होगी। सरकार समय-समय पर जाँच समिति के गठन और जिम्मेदारियों पर फिर से विचार कर सकती है और जैसा उचित समझे उसमें बदलाव कर सकती है।

(2) जाँच समिति का स्वरूप निम्नवत होगा: -

(क)	निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय	-	अध्यक्ष
(ख)	राजकीय विश्वविद्यालयों के सेवारत दो (02) कुलपति (चक्रानुक्रम आधार पर)	-	सदस्य
(ग)	संयुक्त सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	-	सदस्य

(घ)	वित्त विभाग के संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी	-	सदस्य
(ङ)	विधि विभाग के संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी	-	सदस्य
(च)	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी	-	सदस्य
(छ)	भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से अन्यून पदाधिकारी	-	सदस्य

यदि आवश्यक हो तो अध्यक्ष विशेष आमंत्रित सदस्य (सदस्यों) को नामित कर सकते हैं।

(3) जाँच समिति निम्नलिखित के संदर्भ में प्रस्ताव की जाँच करेगी:-

(क) प्रायोजक निकाय की वित्तीय सुदृढ़ता एवं संपत्तियाँ तथा प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की इसकी क्षमता;

(ख) प्रायोजक निकाय की पृष्ठभूमि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव, इसकी विश्वसनीयता और सामान्य प्रतिष्ठा;

(ग) प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की क्षमता, जो न केवल पारंपरिक प्रकृति के हैं बल्कि ज्ञान की उभरती शाखाओं की समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप भी हैं;

(घ) राज्य के समग्र लक्ष्यों और उद्देश्यों के विरुद्ध प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की उपयुक्तता; एवं

(ङ) कोई अन्य कारक जिसे जाँच समिति उचित समझे।

(4) जाँच समिति, प्रस्ताव और परियोजना प्रतिवेदन पर विचार करते समय, प्रायोजक निकाय से ऐसी अन्य जानकारी की पृच्छा कर सकती है, जिसे इस उद्देश्य के लिए उचित समझे।

(5) जाँच समिति सरकार को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुशंसा करेगी कि क्या एक नया निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव उचित है और क्या प्रायोजक निकाय इस विश्वविद्यालय को चलाने के लिए सक्षम है। जाँच समिति नए प्रस्ताव को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की तिथि से 3 माह के अंदर प्रतिवेदन समर्पित करेगी।

8. आशय पत्र और अनुपालन:-

(1) जाँच समिति की अनुशंसा पर विचार करते हुए सरकार प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव में संशोधन अथवा अतिरिक्त सूचना की पृच्छा करने पर निर्णय लेगी।

(2) जाँच समिति के मूल्यांकन प्रतिवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित होगा। इस संबंध में सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(3) सरकार आशय पत्र, खेद पत्र, या संशोधित प्रस्ताव या अतिरिक्त जानकारी की पृच्छा वाले पत्र, जैसा भी मामला हो, के माध्यम से प्रायोजक निकाय को जाँच समिति के माध्यम से अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगी।

(4) मूल्यांकन प्रतिवेदन की स्वीकृति और आशय पत्र (परिशिष्ट-2) जारी करने के मामले में प्रायोजक निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि वह:-

(क) धारा-4 (2) और 46 में निर्दिष्ट अनुसार विश्वविद्यालय के लिए एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करे;

(ख) प्रायोजक निकाय को आशय पत्र जारी होने से एक वर्ष की अवधि के भीतर धारा 4(1) में निर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण करे;

(ग) धारा-4(3) से 4(6) में सूचीबद्ध विनिर्देशों का अनुपालन करे;

(घ) ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करे और ऐसी अन्य जानकारी प्रदान करे जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या केंद्र या राज्य सरकार के विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य वैधानिक निकाय द्वारा निर्धारित की जाती है।

(ङ) निजी विश्वविद्यालय को उसकी स्थापना के 15 वर्ष के पूर्व भंग नहीं करने का शपथ प्रदान करे तथा यदि निजी विश्वविद्यालय को उसकी स्थापना के 15 वर्ष के पूर्व भंग कर दिया जाता है तो निजी विश्वविद्यालय की सभी देनदारियां रहित और सभी बाधाओं से मुक्त परिसम्पत्तियाँ सरकार को निहित हो जायेंगी।

(च) यह शपथ प्रदान करे कि यदि विश्वविद्यालय को 15 वर्ष की अवधि से पहले भंग कर दिया जाता है या सरकार और अन्य वैधानिक निकायों के विनियम अधिनियम, नियम परिनियम, अध्यादेश, निर्देश के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण मान्यता रद्द कर दी जाती है, तो विश्वविद्यालय की, देनदारियों के बिना और सभी बाधाओं से मुक्त सभी परिसंपत्ति सरकार को निहित होगी;

(छ) यह शपथ प्रदान करेगा कि निजी विश्वविद्यालय के नाम पर प्रायोजक निकाय द्वारा अर्जित किसी भी देनदारियों से सरकार को मुक्त रखेगा; तथा

(ज) आशय पत्र जारी होने के तीस (30) दिनों के अंदर प्रायोजक निकाय 25 लाख रुपये की सुरक्षा राशि 6 वर्षों की अवधि के लिए वैध बैंक गारंटी के रूप में जमा करेगा।

(5) प्रायोजक निकाय धारा-4 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं और शर्तों को पूरा करेगा और आशय पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम तीन (3) वर्ष या चार (4) वर्ष (धारा-8 के 5 (छ) के अनुसार) की अवधि के भीतर एक हलफनामे द्वारा समर्थित सरकार को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(क) अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जाँच समिति अनुपालन प्रतिवेदन का सत्यापन करेगी;

(ख) प्रायोजक निकाय के पास आशय पत्र जारी होने और अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय से तीन वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी अतिरिक्त विवरण को शामिल करने का प्रावधान होगा। प्रस्ताव के संशोधित भाग की समिति द्वारा फिर से समीक्षा की जाएगी और उसके बाद सरकार द्वारा उचित समझे जाने पर अनुमोदन प्रदान किया जाएगा;

(ग) समिति अनुपालन प्रतिवेदन की जाँच करेगी और यदि कोई कमी हो तो उसे दूर करने के लिए प्रायोजक निकाय को सूचित करेगी। समिति द्वारा जाँच हेतु कोई अतिरिक्त जानकारी माँगी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त प्रायोजक निकाय को अनुपालन हेतु विशिष्ट अनुशंसाओं को प्रेषित किया जा सकता है;

(घ) प्रायोजक निकाय कमियों को दूर करने और उपरोक्त वर्णित अनुशंसाओं के अनुपालन के संबंध में समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा;

(ङ) प्रायोजक निकाय आशय पत्र जारी होने के बाद अधिकतम तीन (3) वर्ष या चार (4) वर्ष (धारा-8 की उप-धारा-5 (छ) के अनुसार) की अधिकतम अवधि के भीतर किसी भी स्तर पर आवेदन वापस ले सकता है। ऐसे मामले में, धारा-8 की उप-धारा-4 (छ) में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार जमा की गई बैंक गारंटी को सरकार द्वारा उपयोग कर लिया जाएगा;

(च) धारा-8 की उप-धारा (5) (घ) के अधीन, समिति अपनी पहली बैठक की तिथि से तीन महीने के भीतर अपना प्रतिवेदन सरकार को यह निर्दिष्ट करते हुए प्रस्तुत करेगी कि प्रायोजक निकाय ने आशय पत्र में निर्धारित आवश्यकताओं और शर्तों को पूरा किया अथवा नहीं;

(छ) सरकार आशय पत्र की अवधि को एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए विस्तारित कर सकती है यदि इसका अनुरोध प्रायोजक निकाय द्वारा किया जाता है और सरकार प्रायोजक निकाय द्वारा आशय पत्र के विस्तार के लिए दिए गए कारणों के संबंध में संतुष्ट है;

(ज) यदि प्रायोजक निकाय आशय पत्र के निर्गत होने की तिथि से तीन वर्ष या चार वर्ष की अधिकतम अवधि (धारा-8 की उप-धारा (5) (छ) के तहत विस्तार के मामले में) के अंदर आशय पत्र के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है तो समर्पित किये गए प्रस्ताव को निरस्त कर दिया जाएगा तथा प्रायोजक निकाय को जारी किए गए आशय पत्र को वापस लिया गया माना जाएगा, सरकार जाँच समिति की अनुशंसा से जैसा उचित समझे, जुर्माना लगा सकता है जिसे सुरक्षा राशि से वसूल किया जाएगा;

(झ) यदि प्रायोजक निकाय, धारा-8 की उप-धारा-(5) (ज) का उल्लंघन नहीं कर रहा है तो सभी अनुपालनों के सत्यापन पर, धारा-8 की उप धारा (4)(छ) में निर्दिष्ट सुरक्षा राशि (बैंक गारंटी) को नए निजी विश्वविद्यालय के निगमन के एक वर्ष के अंदर वापस कर दिया जाएगा।

(6) धारा-6(2) के अनुसार निजी विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए आवेदन करने वाले मौजूदा शिक्षण संस्थान धारा-6(3) के अनुसार आशय पत्र प्राप्त होने पर काम करना जारी रखेंगे और धारा- 8(1) से 8(5) का अनुपालन तुरंत शुरू करना होगा। इसके अलावा, LoI जारी होने पर संस्थान द्वारा छात्रों के किसी भी नए बैच को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

9. नए विश्वविद्यालय की स्थापना या निगमन:-

(1) धारा-4 के तहत प्रस्तुत अनुपालन प्रतिवेदन पर विचारोपरांत यह संतुष्ट होने पर कि प्रायोजक निकाय ने धारा-8 की उप-धारा (4) के प्रावधानों का अनुपालन किया है, राज्य सरकार नए निजी विश्वविद्यालय के नाम को सम्मिलित करने के लिए अनुसूची-III में संशोधन करने के लिए उपयुक्त कानून लाएगी। इस तरह के नाम, स्थान और अधिकार क्षेत्र के साथ नए निजी विश्वविद्यालय को शामिल करने की अनुमति देने के लिए एक अधिसूचना राजकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

(2) इस अधिनियम के तहत स्थापित होने वाले नए निजी विश्वविद्यालयों के नाम अनुसूची-III में शामिल किए जायेंगे।

(3) राजकीय राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के बाद, सरकार प्रायोजक निकाय को एक निगमन पत्र (परिशिष्ट-3) जारी करेगी, जो नए निगमित निजी विश्वविद्यालय द्वारा अपने नियमित संचालन शुरू करने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों यथा-विद्यार्थियों का प्रवेश, पाठ्यक्रम का संचालन, डिग्री प्रदान करना आदि को निर्दिष्ट करेगा।

(4) धारा-9 की उप्र-धारा (1) में वर्णित अधिसूचना एवं धारा-9 (3) आशय पत्र को यू०जी०सी० और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित किया जाएगा।

(5) प्रायोजक निकाय को धारा-9 (3) में वर्णित निगमन पत्र की शर्तों को धारा-9(3) में उल्लिखित, दो (2) वर्षों की अवधि के अंतर्गत निम्न वर्णित अनुसार पूर्ण करना अनिवार्य होगा:-

(क) प्रायोजक निकाय, धारा-9 (3) के अनुसार निर्गत निगमन पत्र के तीस (30) दिन के अंदर, 1.00 करोड़ रुपये (निगमन पत्र के निर्गत तिथि से 16 वर्ष की अवधि के लिए वैध) की सुरक्षा राशि बैंक गारंटी के रूप में समर्पित करेगा जिसे विघटन या अमान्यता के मामले में सरकार द्वारा उपयोग किया जाएगा जैसा धारा-51, धारा-53 एवं क्रमशः धारा-8 की उप-धारा (4) (ङ) तथा (4) (च) में वर्णित है;

(ख) प्रायोजक निकाय को अधिकृत विश्वविद्यालयों की यू०जी०सी० की सूची में नए निगमित निजी विश्वविद्यालय को सूचीबद्ध करने के लिए यू०जी०सी० को आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता होगी;

(ग) विश्वविद्यालय को यू०जी०सी० द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंडों, अधिसूचना, विनियमों और दिशा-निर्देशों को पूरा करना होगा, उसे यू०जी०सी० के दिशा निर्देशों के

अनुसार सभी शैक्षणिक और गैर-औपचारिक पाठ्यक्रमों की पेशकश करनी होगी, डिग्री और कार्यक्रमों के नाम पद्धति का पालन करना होगा जैसा कि यू०जी०सी० द्वारा निर्दिष्ट किया गया है एवं शासकीय अकादमिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों के निष्पादन हेतु परिनियमों, विनियमों, नियमों और प्राधिकरणों यथा-प्रबंधन बोर्ड, अकादमिक परिषद, कार्यकारी परिषद और वित्त समिति जैसा कि धारा-24 में उल्लिखित है, की स्थापना करनी होगी;

(घ) विश्वविद्यालय संबंधित वैधानिक/नियामक निकाय, यथा-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए०आई०सी०टी०ई०) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एम0सी0आई0), डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डी०सी०आई०), नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन (एन०सी०टी०ई०), बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बी०सी०आई०), इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आई0एन0सी0) आदि द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए निर्धारित निर्देश, शैक्षणिक और भौतिक बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की योग्यता आदि के न्यूनतम से अधिक मानकों को बनाए रखेगा तथा अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रम के संचालन के लिए लागू होने वाली स्वीकृति प्राप्त करेगा।

(6) विश्वविद्यालय किसी महाविद्यालय या संस्थान को संबद्धता के विशेषाधिकार के लिए सम्मिलित नहीं करेगा।

(7) निजी विश्वविद्यालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपनी स्थापना के छः वर्ष के अंदर या पहली पात्रता (मान्यता के लिए) की तिथि पर, जो भी पहले हो, नैक/एन0बी0ए0 द्वारा स्वयं का मूल्यांकन करवाए तथा विभिन्न नियामक निकायों द्वारा निर्धारित यथोचित अन्य सभी आवश्यकताओं/मानदंडों को भी पूरा करे।

10. निजी विश्वविद्यालय का प्रारंभः-

(1) प्रायोजक निकाय निगमन पत्र के निर्गत होने के दो (02) वर्ष के अन्दर दस्तावेजों के साथ सरकार को एक शपथ पत्र देगी कि धारा-9 की उप- धाराओं (5) (क), (5)(ख), (5)(ग) तथा (5)(घ) में उल्लिखित निगमन पत्र की सभी शर्तों को पूरा किया गया है।

(2) मौजूदा शैक्षिक संस्थानों के आवेदन के मामले में, धारा-10(1) में उल्लेखित प्रावधान को पूरा करने के अतिरिक्त एक हलफनामा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है कि पाठ्यक्रम का अंतिम बैच उत्तीर्ण हो गया है और इसने सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है और संबद्धता की समाप्ति के बारे में संबंधित विश्वविद्यालय को सूचित कर दिया गया है ताकि यह एक निजी विश्वविद्यालय बन सके।

(3) सरकार, यदि प्रायोजक निकाय द्वारा धारा 10(1) में बताए गए अनुसार या धारा 10(2) में बताए गए मौजूदा शैक्षणिक संस्थान के लिए प्रस्तुत शपथ पत्र और दस्तावेजों से संतुष्ट है, तो जांच समिति के

माध्यम से प्रायोजक संस्था को निजी विश्वविद्यालय को अपना नियमित संचालन शुरू करने की अनुमति देने के लिए अनुमोदन पत्र (परिशिष्ट -4) जारी करेगी।

11. अनुदान और वित्तीय सहायता:- प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय एक स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालय होगा और सरकार से न तो किसी रख-रखाव, सहायता अनुदान या किसी अन्य वित्तीय सहायता की मांग करेगा और न ही इसका हकदार होगा:

परंतु यह कि एक निजी विश्वविद्यालय अनुसंधान परियोजनाओं या किसी अन्य शैक्षणिक परियोजनाओं, जिसके लिए किसी अन्य स्रोत से वित्तीय अनुदान या वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, या नहीं हो सकती है, के लिए आवेदन करने हेतु प्रतिबंधित नहीं होगा।

बशर्ते कि यह किसी निजी विश्वविद्यालय को सरकार की किसी भी नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार के पास आवेदन करने से नहीं रोकेगा।

12. निजी विश्वविद्‌यालय के उद्‌देश्य:-

(1) निजी विश्वविद्यालय इस तरह से कार्य करेगा कि वह खुद को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 और समय-समय पर संशोधित के साथ संरेखित करे।

(2) एक निजी विश्वविद्यालय का उद्देश्य शिक्षा की ऐसी शाखाओं में शिक्षण अनुसंधान और सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से शिक्षा, ज्ञान और कौशल का प्रसार और विकास करना होगा, जिसे वह उचित समझे तथा निजी विश्वविद्यालय, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को आवश्यक वातावरण एवं सुविधाएँ प्रदान करके निम्नांकित को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा:-

(क) शिक्षा में नवाचार से पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन, शिक्षण के नए तरीके, प्रशिक्षण और ऑनलाइन सहित अन्य शिक्षा, मिश्रित शिक्षा, सतत शिक्षा और इस तरह के अन्य तरीके तथा व्यक्तित्व का एकीकृत और संपूर्ण विकास;

(ख) विभिन्न विषयों में अध्ययन;

(ग) अंतर्विषयक अध्ययन;

(घ) राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समानता और अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान तथा नैतिकता की अभियांत्रिकी;

(ङ) डिप्लोमा, डिग्री और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, डॉक्टरेट डिग्री और डॉक्टरेट के बाद के कार्यक्रमों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम और शिक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखना; तथा

(च) यू०जी०सी० और अन्य नियामक निकायों के दिशा-निर्देशों के अधीन, राष्ट्रीय और वैश्विक संस्थानों के साथ सहयोग, और कार्यक्रमों को वैश्विक मानकों के उन्नयन के लिए क्षमताओं का सृजन;

13. **निजी विश्वविद्यालय की शक्तियाँ**– प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:-

(1) ज्ञान की ऐसी शाखाओं में निर्देश प्रदान करना जिसे निजी विश्वविद्यालय समय-समय पर निर्धारित कर सकता है तथा अनुसंधान एवं ज्ञान और कौशल की उन्नति तथा प्रसार और अनुप्रयोग के लिए प्रावधान करना।

(2) मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अभियंत्रण तथा प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, विधि, चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान एवं किसी भी अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अध्ययन को परिसर में, परिसर के बाहर तथा सैटेलाईट केंद्रों या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान करना और बढ़ावा देना।

(3) एमेरिटस प्राध्यापकों के अलंकरण के साथ शैक्षिक दिग्गजों तथा अकादमिक प्रतिष्ठा के व्यक्तियों का सम्मान करना।

(4) ऐसी शर्तों के अधीन, जो निजी विश्वविद्यालय निर्धारित कर सकता है, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र तथा परीक्षा, मूल्यांकन या व्यक्तियों के परीक्षण के किसी अन्य तरीके के आधार पर डिग्री या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ प्रदान करना तथा ऐसे किसी भी डिप्लोमा, प्रमाण पत्र, डिग्री या अन्य अकादमिक विशिष्टताओं को उचित और पर्याप्त कारण से वापस लेने की स्वीकृति देना।

(5) निर्धारित तरीके से मानद डिग्रियाँ या अन्य उपाधियाँ प्रदान करना।

(6) ऐसे व्यक्तियों को, जो निजी विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, जैसा निर्धारित हो सके, पत्राचार तथा ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों सहित शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना।

(7) निजी विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक निदेशक पद, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, रीडर, सहायक प्राध्यापक, व्याख्याता तथा अन्य शिक्षण या शैक्षणिक पदों की संस्थापना करना और इसके लिए नियुक्तियाँ करना।

(8) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना।

(9) स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नियुक्त या संलग्न करना।

(10) भारत तथा विदेश के किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्थान के साथ इस तरह के उद्देश्य हेतु मिलना, सहयोग करना या जुड़ना जैसा निजी विश्वविद्यालय निर्धारित कर सके।

(11) विद्यापीठों, केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं या अन्य इकाईयों को अनुसंधान और निर्देश के लिए स्थापित करना और रख-रखाव करना, जैसा निजी विश्वविद्यालय की राय में इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हो।

(12) फेलोशिप, अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार संस्थापित करना एवं प्रदान करना।

(13) निजी विश्वविद्यालय के अंदर निवासों, छात्रावासों की स्थापना और रख-रखाव तथा पर्यवेक्षण करना एवं विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देना।

(14) अनुसंधान और परामर्श के लिए प्रावधान करना तथा उस उद्देश्य के लिए अन्य संस्थानों या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्था करना, जिसे निजी विश्वविद्यालय आवश्यक समझे।

(15) परिनियमों के अनुसार एक केंद्र, एक संस्थान, विभाग या विद्यापीठ, जैसा भी मामला हो, घोषित करना।

(16) निजी विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानक निर्धारित करना, जिसमें परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य विधि शामिल हो सकती है।

(17) फीस एवं अन्य शुल्कों को निर्धारित करना, माँगना और भुगतान प्राप्त करना।

(18) महिलाओं और अन्य वंचित विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन और शिक्षण के संबंध में ऐसी व्यवस्थाएँ करना जिसे निजी विश्वविद्यालय उचित समझे।

(19) निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और विद्यार्थियों के मध्य अनुशासन को विनियमित एवं लागू करना तथा इस संबंध में ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जिसे निजी विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाए।

(20) निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था करना।

(21) अधिनियम की धारा 4(1) की बाध्यता के साथ निजी विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और किसी भी चल या अचल संपत्ति की बिक्री या पट्टे या किराए के माध्यम से अधिग्रहण, धारण, प्रबंधन और निस्तारण करना।

(22) अधिनियम की धारा 4(1) की बाध्यता के साथ प्रायोजक निकाय के अनुमोदन से निजी विश्वविद्यालय की संपत्ति के विरुद्ध बिना किसी सुरक्षा या हाईपोथीकेशन या बंधक के माध्यम से उधार लेना।

(23) प्राध्यापकों, एमेरिटस प्राध्यापकों, सलाहकारों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को अनुबंध पर या अन्यथा नियुक्त करना, जो निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की उन्नति में योगदान कर सकते हैं।

(24) बाह्य-भित्ति अध्ययनों और विस्तार सेवा को आयोजित करना और प्रारंभ करना।

(25) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ऐसे सभी कार्य करना जो निजी विश्वविद्यालय के सभी या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, प्रासंगिक या अनुकूल हों ।

14. नामांकन एवं शुल्क:-

(1) प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय, इस अधिनियम के प्रावधानों और यू०जी०सी० तथा अन्य नियामक निकायों के प्रासंगिक परिनियमों तथा विनियमों के अधीन जो भी लागू हो, सभी लिंग, वर्ग और पंथ के लिए खुला होगा।

(2) उपधारा (1) में निहित कुछ भी निजी विश्वविद्यालय को यह बाध्य नहीं करेगा कि:-

(क) अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम में किसी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश देना जिसके पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यता या मानक नहीं है;

(ख) निजी विश्वविद्यालय के रोल पर किसी भी ऐसे विद्यार्थी को कायम रखना जिसका अकादमिक रिकॉर्ड, डिग्री या अन्य अकादमिक विशिष्टता को जारी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम मानक से कम है;

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश देना या किसी विद्यार्थी को कायम रखना जिसका आचरण निजी विश्वविद्यालय के हित या अन्य विद्यार्थियों और शिक्षकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रतिकूल हो;

(घ) पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित आवश्यक शुल्क जमा करने में विफल रहने वाले किसी भी विद्यार्थी को निजी विश्वविद्यालय के रोल पर बनाए रखना।

(3) उप-धारा (1) और (2) के प्रावधानों और निजी विश्वविद्यालय की मानक प्रवेश प्रक्रिया के अधीन, जैसा कि निर्धारित किया जाए, निजी विश्वविद्यालय झारखण्ड के निवासी विद्यार्थियों के लिए अध्ययन के प्रत्येक पाठ्यक्रम में कम से कम पच्चीस प्रतिशत सीटें आरक्षित रखेगा। झारखंड राज्य के निवासी छात्रों के लिए आरक्षित पच्चीस प्रतिशत सीटों के अधिदेश के अंतर्गत श्रेणी-आधारित सीटों का आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कानूनों और आदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(4) निजी विश्वविद्यालय ऑनलाइन पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया के माध्यम से नामांकन संचालित करेगा।

(5) विश्वविद्यालय समय-समय पर अपना शुल्क संरचना तैयार कर धारा-25 के अधीन गठित शासी निकाय के अनुमोदन के लिए भेज सकेगा।

(6) शासी निकाय विश्वविद्यालय द्वारा तैयार शुल्क संरचना पर विचार करेगा और यदि यह संतुष्ट है कि प्रस्तावित शुल्क:-

(क) पर्याप्त है-

(i) विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय को पूरा करने एवं संसाधनों के सृजन के लिए; और

(ii) विश्वविद्यालय के अग्रेतर विकास के लिए आवश्यक बचत के लिए ; तथा

(ख) अनुचित रूप से अत्यधिक नहीं है तो शुल्क की संरचना को स्वीकृति प्रदान कर सकता है।

(7) उप-धारा (5) के अधीन शासी निकाय द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना तीन वर्षों तक प्रभावी रहेगी और विश्वविद्यालय इसी शुल्क संरचना के अनुसार शुल्क लेने का हकदार होगा।

(8) विश्वविद्यालय, उप-धारा (5) के तहत प्राप्त शुल्क के अतिरिक्त कोई शुल्क नहीं लेगा, चाहे इसे किसी भी नाम से जाना जाता हो।

(9) विश्वविद्यालय विहित शुल्क संरचना की सूचना राज्य सरकार को देगा। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने की हकदार होगी कि निर्धारित शुल्क में मुनाफाखोरी या प्रति व्यक्ति शुल्क की वसूली सम्मिलित नहीं है।

(10) निजी विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों सहित आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े परिवारों के छात्रों को कुल संख्या के कम से कम पाँच प्रतिशत तक योग्यता छात्रवृत्ति की अनुमति देगा।

15. **निजी विश्वविद्यालय के पदाधिकारी**:-निजी विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे:-

(क) विजिटर/आगंतुक

(ख) कुलाधिपति।

(ग) कुलपति।

(घ) कुलसचिव।

(ङ) संकायाध्यक्ष और निदेशक।

(च) मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी।

(छ) परीक्षा नियंत्रक।

(ज) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें परिनियमों द्वारा निजी विश्वविद्यालय के पदाधिकारी घोषित किया जा सकता है।

16. **विजिटर/आगंतुक**:-

(1) झारखण्ड के माननीय राज्यपाल निजी विश्वविद्यालय के विजिटर/आगंतुक होंगे।

(2) विजिटर/आगंतुक, उपस्थित होने पर, डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने के लिए निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(3) विजिटर/आगंतुक के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् -

(क) कुलपति नियुक्त करना;

(ख) निजी विश्वविद्यालय के मामलों से संबंधित किसी दस्तावेज या जानकारी की पृच्छा करना;

(ग) यदि सूचना के आधार पर यह प्रतीत होता है कि निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा लिया गया कोई आदेश, कार्यवाही या निर्णय इस अधिनियम के प्रावधानों, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अनुरूप नहीं है, तो विजिटर/ आगंतुक सरकार की राय की पृच्छा कर सकते हैं। कतिपय अनियमितता होने पर, वह ऐसे निर्देश जारी कर सकते हैं, जो उन्हें निजी विश्वविद्यालय के हित में उचित लगे तथा जारी किए गए ऐसे निर्देशों का निजी विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन किया जाएगा;

(घ) कुलाधिपति के प्रतिवेदन पर या अन्यथा कुलपति के विरुद्ध जाँच संस्थापित करना।

17. कुलाधिपति:-

(1) कुलाधिपति की नियुक्ति प्रायोजक निकाय द्वारा विजिटर/आगंतुक के अनुमोदन से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जायेगी:

परंतु यह कि, निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और इसे कार्यात्मक बनाने के लिए, प्रायोजक निकाय न्यूतम एक वर्ष और अधिकतम तीन वर्ष के लिए कुलाधिपति की नियुक्ति करेगा, जो एक उत्कृष्ट अकादमिक प्रशासन के सिद्ध कार्यानुभव के साथ समुचित रूप से योग्य प्रतिष्ठित प्रशासक होना चाहिए।

(2) कुलाधिपति निजी विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे।

(3) कुलाधिपति शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और जब विजिटर/आगंतुक उपस्थित नहीं होंगे तो डिग्री, डिप्लोमा या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को प्रदान करने के लिए निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(4) कुलाधिपति के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :-

(क) किसी भी जानकारी या अभिलेख के लिए पृच्छा करना।

(ख) कुलपति को पदच्युत करने के लिए आगंतुक/विजिटर को प्रतिवेदित करना, यदि वह शिकायतों के आधार पर संतुष्ट है कि कुलपति ने निजी विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों का उल्लंघन किया है या वित्तीय अनियमितता की है।

18. कुलपति:-

(1) कुलपति उच्चतम स्तर की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और संस्थागत प्रतिबद्धता का व्यक्ति होगा। इनकी योग्यता और अनुभव के मानदंड यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप होंगे। कुलपति की नियुक्ति, इस उद्देश्य के लिए प्रायोजक निकाय द्वारा गठित खोज समिति द्वारा अनुशंसित पैनल से विजिटर/आगंतुक द्वारा की जाएगी।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट खोज समिति में कुलाधिपति (धारा 17) के साथ निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: -

(क) प्रायोजक निकाय द्वारा नामित दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद।

(ख) उच्च शिक्षा विभाग में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक गणमान्य व्यक्ति अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के एक पदाधिकारी।

(ग) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित एक व्यक्ति।

विजिटर/आगंतुक खोज समिति के सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष नियुक्त करेंगे।

(3) खोज समिति कुलपति की नियुक्ति के लिए न्यूनतम तीन प्रतिष्ठित शिक्षाविदों का पैनल प्रस्तुत करेगी:

परंतु यह कि, यदि विजिटर/आगंतुक खोज समिति की अनुशंसा को स्वीकार नहीं करते हैं; वह समिति से नई अनुशंसा मांग सकते हैं:

(4) कुलपति, उप-धारा (10) में निहित प्रावधान के अधीन, चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे:

परंतु यह कि, एक कुलपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी नए कुलपति के कार्यभार ग्रहण करने तक पद पर बने रहेंगे। तथापि, किसी भी स्थिति में यह अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी।

(5) कुलपति निजी विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होंगे तथा निजी विश्वविद्यालय के मामलों पर सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण रखेंगे तथा निजी विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के निर्णयों को निष्पादित करेंगे।

(6) निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विजिटर/आगंतुक तथा कुलाधिपति की अनुपस्थिति में कुलपति अध्यक्षता करेंगे।

(7) यदि कुलपति की राय में किसी ऐसे मामले पर तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत किसी अन्य प्राधिकरण को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं जो वह आवश्यक समझे, और तत्पश्चात् यथाशीघ्र अवसर पर अपनी कार्रवाई की सूचना ऐसे पदाधिकारी या प्राधिकरण को देंगे जो मामले को सामान्य रूप से निष्पादित करता:

परन्तु यह कि, यदि संबंधित पदाधिकारी या प्राधिकरण की राय में ऐसी कार्रवाई कुलपति द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिनका इस पर निर्णय अंतिम होगा:

परन्तु यह भी कि, जहाँ कुलपति द्वारा की गई ऐसी कोई कार्रवाई विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को प्रभावित करती है, तो ऐसा व्यक्ति उस तिथि से तीन माह के भीतर, जिस दिन उसे इस तरह की कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाता है, शासी निकाय को अपील करने का हकदार होगा। संबंधित व्यक्ति को अपील की तिथि से अधिकतम तीन माह की अवधि के भीतर शासी निकाय का निर्णय सूचित किया जाएगा।

(8) यदि कुलपति की राय में निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई निर्णय इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप नहीं है, या निजी विश्वविद्यालय के हित में इसके प्रतिकूल होने की संभावना है, वह संबंधित प्राधिकरण से अपने निर्णय को संशोधित करने का अनुरोध करेगा। यदि प्राधिकरण ऐसे निर्णय को पूर्ण या आंशिक रूप से संशोधित करने से इंकार करता है या पंद्रह दिनों के भीतर कोई निर्णय लेने में विफल रहता है, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को भेजा जाएगा और उस पर उनका निर्णय अंतिम होगा, जिसे अनुसमर्थन के लिए शासी निकाय को सूचित किया जाएगा।

(9) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

(10) यदि किसी भी समय अभ्यावेदन पर या अन्यथा, विजिटर/आगंतुक को यह प्रतीत होता है कि कुलपति-

(क) इस अधिनियम या इसके तहत उस पर लागू किसी भी कर्तव्य का निर्वहण करने में विफल रहा हो, या

(ख) निजी विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल तरीके से काम किया हो, या

(ग) निजी विश्वविद्यालय के मामलों का प्रबंधन करने में असमर्थ रहा हो, (विजिटर/आगंतुक इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति के पद का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है), एक लिखित आदेश द्वारा, उसमें कारण दर्शाते हुए, उस तिथि जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया हो, कुलपति को अपना पद त्यागने को कह सकते हैं।

(11) उप-धारा (10) के तहत कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि जिन विशिष्ट आधारों पर ऐसी कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है, उसकी विवरणी कुलपति को नहीं दी जाती है और उन्हें प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध स्पष्टीकरण का उचित अवसर नहीं दिया जाता है।

(12) उप-धारा (10) के तहत आदेश में निर्दिष्ट तिथि से यह माना जाएगा कि कुलपति ने पद त्याग दिया है और कुलपति का पद रिक्त हो जाएगा।

19. कुलसचिव:-

(1) कुलसचिव की नियुक्ति शासी निकाय द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर परिनियमों द्वारा यथाविहित की जायेगी। कुलसचिव के पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताएँ होंगी। हालांकि, प्रथम कुलसचिव को प्रायोजक निकाय द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा।

(2) कुलसचिव द्वारा निजी विश्वविद्यालय की ओर से सभी अनुबंधों एवं सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जायेंगे और अभिलेखों को प्रमाणित किया जाएगा।

(3) कुलसचिव शासी निकाय, प्रबंधन बोर्ड और शैक्षणिक परिषद का सदस्य-सचिव होगा, परंतु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।

(4) कुलसचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

(5) यदि किसी भी समय अभ्यावेदन पर या अन्यथा, एवं ऐसी जाँच करने के बाद जो आवश्यक समझा जाए, ऐसी परिस्थिति बनती है कि कुलसचिव को पद पर बने रहना निजी विश्वविद्यालय के हित में

नहीं है, कुलपति द्वारा कुलाधिपति को कारण बताते हुए कुलसचिव को पदच्युत करने का अनुरोध किया जा सकता है:

परंतु यह की इस उप-धारा के तहत कारवाई करने के पूर्व कुलसचिव को सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा।

20. **संकायाध्यक्ष और निदेशक:-** प्रत्येक संकायाध्यक्ष और प्रत्येक निदेशक को इस तरह से नियुक्त किया जाएगा तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे एवं ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

21. **मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी:-**

(1) मुख्य वित्त एवं लेखा पदाधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी जैसा परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(2) मुख्य वित्त और लेखा पदाधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

22. **परीक्षा नियंत्रक:-**

(1) परीक्षा नियंत्रक निजी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति ऐसी अवधि के लिए और ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर की जा सकती है, जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

(2) परीक्षा नियंत्रक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

23. **अन्य पदाधिकारी:-** निजी विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की पद्धति तथा शक्तियाँ और कर्तव्य ऐसे होंगे जो विहित किये जायें।

24. **निजी विश्वविद्‌यालय के प्राधिकरण:-**

(1) निजी विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :-

(क) शासी निकाय;

(ख) प्रबंधन बोर्ड;

(ग) अकादमिक परिषद;

(घ) वित्त समिति;

(ङ) योजना बोर्ड; तथा

(च) संकाय बोर्ड, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति एवं ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा बनाए जा सकते हैं, निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकरण होंगे।

(2) शासी निकाय और प्रबंधन बोर्ड के लिए नामित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। किसी भी मनोनीत सदस्य को लगातार दो कार्यकाल से अधिक के लिए नामांकित नहीं किया जाएगा।

25. शासी निकाय:-

(1) विश्वविद्यालय के शासी निकाय में निम्नलिखित शामिल होंगे: -

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामित तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनमें से कम से कम एक विख्यात शिक्षाविद् होगा;

(घ) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत छह नामों के पैनल में से विजिटर/आगंतुक द्वारा नामित तीन विशिष्ट व्यक्ति;

(ङ) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि, जो उप सचिव के पद से अन्यून हो।

(2) कुलाधिपति शासी निकाय के पदेन अध्यक्ष होंगे।

(3) शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण होगा। विश्वविद्यालय की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति शासी निकाय में निहित होगी। इसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:-

(क) सामान्य अधीक्षण और निर्देश प्रदान करने के लिए एवं इस अधिनियम या परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा प्रदान की गई ऐसी सभी शक्तियों का उपयोग करके निजी विश्वविद्यालय के कार्यकलापों को नियंत्रित करना;

(ख) निजी विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के निर्णय की समीक्षा करना, यदि वह इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अनुरूप नहीं हैं;

(ग) निजी विश्वविद्यालय के बजट एवं वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन करना;

(घ) निजी विश्वविद्यालय द्वारा पालन की जाने वाली नीतियों का निर्धारण करना;

(ङ) निजी विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में प्रायोजक निकाय को अनुशंसा करना, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि निजी विश्वविद्यालय का सुचारू संचालन संभव नहीं है; तथा

(च) ऐसी अन्य शक्तियाँ जो परिनियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

(4) शासी निकाय की बैठक एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम तीन बार आहूत होगी।

(5) शासी निकाय की बैठकों के लिए पाँच (5) का कोरम होगा।

26. प्रबंधन बोर्ड:-

(1) प्रबंधन बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे: -

(क) कुलपति;

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा मनोनीत दो प्रतिनिधि;

(ग) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दो प्रतिनिधि;

(घ) चक्रानुक्रमानुसार निजी विश्वविद्यालय के दो वरिष्ठतम प्राध्यापक; तथा

(ङ) उप-धारा(1) (घ) के अतिरिक्त, चक्रानुक्रमानुसार निजी विश्वविद्यालय के दो वरिष्ठतम शिक्षक।

(2) कुलपति प्रबंधन बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे।

(3) प्रबंधन बोर्ड की शक्तियाँ और कार्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

(4) प्रबंधन बोर्ड की बैठक प्रत्येक दो माह में न्यूनतम एक बार होगी।

(5) प्रबंधन बोर्ड की बैठकों के लिए पाँच (5) का कोरम होगा।

27. अकादमिक परिषद्:-

(1) अकादमिक परिषद् कुलपति और ऐसे अन्य सदस्यों को समेकित कर सृजित होगी जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाऐं।

(2) कुलपति अकादमिक परिषद् के अध्यक्ष होंगे।

(3) अकादमिक परिषद निजी विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के प्रावधानों के अधीन, निजी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय और सामान्य पर्यवेक्षण करेगा।

(4) अकादमिक परिषद् की बैठकों के लिए कोरम वह होगा जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए।

28. वित्त समिति:-

(1) वित्त समिति वित्तीय मामलों की देखभाल के लिए निजी विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि तथा इसकी शक्तियाँ और कार्य ऐसे होंगे जो परिनियमों में निर्धारित किए जा सकते हैं।

29. योजना बोर्ड:-

(1) योजना बोर्ड निजी विश्वविद्यालय का प्रमुख योजना निकाय होगा। योजना बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि आधारभूत संरचना और शैक्षणिक सहायता प्रणाली, नियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है।

(2) योजना बोर्ड का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और इसकी शक्तियाँ और कार्य ऐसे होंगे जो परिनियमों में निर्धारित किए जा सकते हैं।

30. निजी विश्वविद्यालय के संकाय बोर्ड, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और अन्य प्राधिकरण:-

एक निजी विश्वविद्यालय के संकाय बोर्ड, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ और कार्य परिनियमों में निर्धारित किए जाऐंगे।

31. परिनियम बनाने की शक्ति:-

(1) प्रबंधन बोर्ड, शासी निकाय के अनुमोदन के अधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए परिनियम बनाएगा।

(2) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, निम्नलिखित सभी या किसी मामले के लिए परिनियम बनाया जाएगा: -

(क) निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन, शक्तियाँ और कार्य, जो समय-समय पर गठित किए जा सकते हैं;

(ख) उक्त प्राधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति और पद पर कायम रहना, सदस्यों की रिक्तियों को भरना और उन प्राधिकरणों से संबंधित अन्य सभी मामले जिनके लिए प्रावधान करना आवश्यक हो सकता है;

(ग) निजी विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कर्तव्य तथा उनकी परिलब्धियाँ;

(घ) निजी विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियाँ;

(ङ) एक संयुक्त परियोजना के उपक्रम के लिए विशिष्ट अवधि के लिए निजी विश्वविद्यालय या संस्थान में कार्यरत शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति;

(च) सेवानिवृत्ति लाभ, बीमा और भविष्य निधि, सेवा समाप्ति के तरीके और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के प्रावधानों सहित कर्मचारियों की सेवा की शर्तें;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की वरिष्ठता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत;

(ज) कर्मचारियों या विद्यार्थियों तथा निजी विश्वविद्यालय के बीच विवादों के निष्पादन की प्रक्रिया;

(झ) निजी विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य प्राधिकरण की कार्रवाई के विरुद्ध किसी कर्मचारी या विद्यार्थियों द्वारा प्रबंधन बोर्ड को अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) मानद उपाधियाँ प्रदान करना;

(ट) डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य अकादमिक विशिष्टता को वापस लेना;

(ठ) फेलोशिपों, अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों का संस्थापन;

(ड) विद्यार्थियों के मध्य अनुशासन बनाए रखना;

(ढ) विभाग, केंद्र और अन्य संस्थानों की स्थापना और समाप्ति;

(ण) निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; तथा

(त) अन्य सभी मामले, जो इस अधिनियम द्वारा निर्धारित किए जाऐं या किए जा सकते हैं।

(3) प्रबंधन बोर्ड, निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाले किसी भी परिनियमों को तब तक सृजित, संशोधित या निरस्त नहीं करेगा जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में राय व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया जाता है और इस तरह व्यक्त की गयी किसी भी राय पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।

(4) उपर्युक्त प्रथम परिनियम, विश्वविद्यालय की स्थापना के छः (6) माह के भीतर राज्य सरकार को सूचनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

32. परिनियम कैसे बनाए जाऐंगे:-

(1) प्रबंधन बोर्ड, समय-समय पर, इस धारा में प्रदान किए गए तरीके से परिनियम बना सकता है और परिनियमों को संशोधित या निरस्त कर सकता है।

(2) प्रबंधन बोर्ड द्वारा पारित या संशोधित या निरस्त परिनियम शासी निकाय को प्रस्तुत किया जाएगा जो उस पर सहमति दे सकता है या अपनी सहमति वापस ले सकता है। प्रबंधन बोर्ड द्वारा पारित या संशोधित, या निरस्त परिनियम की कोई वैधता नहीं होगी, जब तक कि इसे शासी निकाय द्वारा अनुमति नहीं दी गई हो। परिनियमों की एक प्रति सरकार को सूचनार्थ भेजी जाएगी।

33. अध्यादेश एवं विनियम बनाने की शक्ति:- इस अधिनियम, परिनियमों विनियमों के प्रावधानों के अधीन, अध्यादेशों एवं विनियमों को प्रबंधन बोर्ड द्वारा शासी निकाय के अनुमोदन के अधीन निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए बनाया जा सकता है:-

(1) निजी विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश एवं उनका नामांकन।

(2) निजी विश्वविद्यालय की सभी डिग्रियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के लिए निर्धारित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम।

(3) निर्देश और परीक्षा का माध्यम।

(4) डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताऐं प्रदान करना एवं उसके लिए योग्यता और इसे प्रदान करने और प्राप्त करने से संबंधित मामले।

(5) निजी विश्वविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रमों के लिए और निजी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों में प्रवेश हेतु लिया जाने वाला शुल्क।

(6) फेलोशिप, अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें।

(7) परीक्षाओं के संचालन हेतु कार्यालय की अवधि सहित परीक्षा निकायों, परीक्षकों और परीक्षा नियंत्रकों के कर्तव्य एवं नियुक्ति का तरीका।

(8) निजी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें।

(9) छात्राओं के निवास, अनुशासन और शिक्षण के लिए यदि कोई हो, विशेष व्यवस्था करना तथा निजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत उनके लिए अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रम निर्धारित करना।

(10) वैसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियमों में प्रावधान किया गया है, को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के लिए नियुक्ति और परिलब्धियाँ।

(11) अध्ययन केंद्र, अध्ययन बोर्ड, अंतःविषय अध्ययन, विशेष केंद्र, विशिष्ट प्रयोगशालाऐं और अन्य समिति की स्थापना।

(12) विद्वान निकायों या संघ सहित अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों के साथ सहयोग और सहभागिता का तरीका।

(13) निजी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक लाभ में सुधार के लिए आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य निकाय का सृजन, स्वरूप और कार्य निर्धारण।

(14) परीक्षकों, परीक्षा नियंत्रकों, निरीक्षकों और सारणीकारों को प्रदेय पारिश्रमिक।

(15) शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवा के ऐसे अन्य नियम और शर्तें जो परिनियमों द्वारा निर्धारित नहीं हैं।

34. अध्यादेश एवं विनियम कैसे बनाए जायेंगे:-

(1) अध्यादेश एवं विनियम के निर्माण में प्रबंधन बोर्ड, शासी निकाय से परामर्श करेगा।

(2) प्रबंधन बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश एवं विनियम उस तिथि से प्रभावी होंगे जैसा वह निर्देशित करेगा।

35. वार्षिक प्रतिवेदन:-

(1) निजी विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबंधन बोर्ड के निर्देशन में तैयार किया जायेगा तथा शासी निकाय को निर्धारित तिथि या उसके पश्चात् प्रस्तुत किया जायेगा तथा शासी निकाय प्रतिवेदन पर अपने वार्षिक बैठक पर विचार करेगा। वार्षिक प्रतिवेदन के एक खंड में प्रतिवेदित अवधि में इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन से संबंधित विश्वविद्यालय का स्व-प्रकटीकरण शामिल होना चाहिए।

(2) शासी निकाय से अनुमोदन के बाद प्रबंधन बोर्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर वार्षिक प्रतिवेदन अपलोड करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को साझा करेगा।

36. वार्षिक लेखा:-

(1) निजी विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा एवं वित्तीय विवरण, प्रबंधन बोर्ड के निर्देशानुसार तैयार किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष न्यूनतम एक बार तथा पन्द्रह माह से अनधिक के अन्तराल पर किसी बाहरी, अनुभवी, योग्य तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का केंद्रीय अधिनियम XXXVIII) के प्रावधानों के अनुसार अंकेक्षण करने हेतु पात्र चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा अंकेक्षित किया जायेगा।

(2) वार्षिक लेखा की एक प्रति, इसके अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ, शासी निकाय को उनके अनुमोदन के लिए, प्रबंधन बोर्ड की टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

37. कर्मचारियों की सेवा की शर्तें:-

(1) निजी विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी को परिनियमों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त या कार्यरत किया जाएगा। इस अधिनियम की धारा-4(5) के अनुसार शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी ।

(2) निजी विश्वविद्यालय एवं मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद से कुलपति को संदर्भित किया जाएगा, जो कर्मचारी को उन्हें प्राप्त संदर्भ की तिथि से तीन माह के अंदर अवसर प्रदान करने के उपरांत विवाद का फैसला करेंगे।

(3) व्यथित कर्मचारी कुलपति के निर्णय के विरुद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसी अपील में कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा।

(4) अस्थायी रूप से या तदर्थ या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर नियोजित किसी कर्मचारी के संबंध में किसी भी विवाद को संबंधित विभाग के प्रमुख द्वारा अंतिम रूप से सुना और तय किया जाएगा।

38. निजी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं में प्रवेश:-

(1) निजी विश्वविद्यालय की डिग्रियों, उपाधियों या डिप्लोमा की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए किसी भी व्यक्ति को निजी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह,-

(क) उसके लिए निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; तथा

(ख) निर्धारित की जा सकने वाली ऐसी अन्य शैक्षणिक शर्तों को पूरा करता हो।

(2) एक निजी विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए प्रत्येक उम्मीदवार, जब तक कि उसे अकादमिक परिषद की अनुशंसा पर प्रबंधन बोर्ड के एक विशेष आदेश द्वारा इस उप-धारा के प्रावधानों से छूट नहीं दी गई हो, निजी विश्वविद्यालय के सदस्य के रूप में नामांकित किया जाएगा। ऐसी कोई भी छूट ऐसी शर्तों के अधीन दी जा सकती है, जो प्रबंधन बोर्ड उचित समझे।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी निजी विश्वविद्यालय की परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह निजी विश्वविद्यालय के सदस्य के रूप में नामांकित न हो और उसके लिए आवश्यक उपस्थिति के रूप में आवश्यकताओं को पूरा न कर ले या जब तक कि उसे नामांकन या उपस्थिति की ऐसी आवश्यकताओं या दोनों से, अकादमिक परिषद की अनुशंसा पर पारित प्रबंधन बोर्ड के एक आदेश द्वारा छूट न दी जाए। इस धारा के तहत दी गई छूट ऐसी शर्तों के अधीन होगी, जो प्रबंधन बोर्ड उचित समझे।

(4) एक परीक्षा का कोई भी विद्यार्थी या उम्मीदवार, जिसका नाम अकादमिक परिषद या परीक्षा नियंत्रक, जैसा भी मामला हो, के आदेश या अनुशंसा द्वारा निजी विश्वविद्यालय के रोल से हटा दिया गया है, तथा जिसे एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए परीक्षाओं में उपस्थित होने से रोक दिया गया है, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तिथि से दस दिनों के भीतर, कुलपति को अपील कर सकता है।

(5) इस संबंध में कुलपति द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अंतिम होगा।

39. कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन:- एक निजी विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी पेंशन या कल्याणकारी योजनाओं या भविष्य निधि का गठन कर सकता है या ऐसी बीमा योजनाएँ प्रदान कर सकता है, जो वह उचित समझे और ऐसी शर्तों के अधीन हो जो प्रबंधन बोर्ड द्वारा तय की जा सकती है।

40. प्राधिकरणों और निकायों के गठन के संबंध में विवाद:- यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या किसी व्यक्ति को किसी निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के रूप में विधिवत नामांकित या नियुक्त किया गया है या वह सदस्य होने का हकदार है, तो मामला कुलाधिपति को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

41. **समितियों का गठन:-** जहाँ किसी निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को इस अधिनियम या परिनियमों के तहत समितियों के गठन की शक्ति प्रदान की गई है, ऐसी समितियों जैसा कि अन्यथा प्रदान किया गया है, संबंधित प्राधिकरण के सदस्यों और ऐसे अन्य व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, जिन्हें प्राधिकरण प्रत्येक मामले में उचित समझे।

42. **रिक्तियों का भरा जाना:-** एक निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्यों के बीच सभी रिक्तियों को यथाशीघ्र ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरा जा सकता है जिसके द्वारा उन सदस्यों को नियुक्त या नामित किया गया है, जिनका स्थान उस शेष अवधि के लिए रिक्त हो गया है, जिसके लिए वह नियुक्त या मनोनित रहा है।

43. **निजी विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना:-** निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल रिक्ति होने या निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के नामांकन में किसी त्रुटि या अनियमितता या इस तरह के कार्य या कार्यवाही में कोई दोष या अनियमितता जो मामले की योग्यता को प्रभावित नहीं करती है या इस आधार पर कि निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकरण या अन्य निकाय इस अधिनियम के तहत आवश्यक अंतराल पर नहीं मिलते हैं, के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

44. **निजी विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना:-**

(1) यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें प्रबंधन बोर्ड की राय में नैतिक अधमता शामिल है, प्रबंधन बोर्ड, इस संबंध में लिखित आदेश द्वारा ऐसे किसी भी व्यक्ति को, प्रबंधन बोर्ड के कुल सदस्यों के बहुमत एवं बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले प्रबंधन बोर्ड के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा निजी विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण की सदस्यता से हटा सकता है।

(2) प्रबंधन बोर्ड किसी भी व्यक्ति को, यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है या दिवालिया घोषित कर दिया गया है, निजी विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण की सदस्यता से हटा सकता है।

(3) इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उसे की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ स्पष्टीकरण का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

(4) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रति, जैसा भी मामला हो, इसे जारी किए जाने के बाद यथाशीघ्र, संबंधित व्यक्ति को निर्धारित माध्यम से प्रेषित की जाएगी।

45. **निजी विश्वविद्यालय के अभिलेखों को प्रमाणित करने का तरीका:-** किसी भी प्राधिकरण या निकाय की किसी भी रसीद, आवेदन, नोटिस, कार्यवाही या निजी विश्वविद्यालय के कब्जे में अन्य दस्तावेजों

की एक प्रति, यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित की जाती है, तो ऐसी रसीद, आवेदन, नोटिस, आदेश, कार्यवाही या संकल्प, दस्तावेज या पंजी में प्रविष्टि के अस्तित्व और उन मामलों और लेनदेन के प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जाएगी जहाँ उनकी मूल प्रति यदि प्रस्तुत किये जाते, तो साक्ष्य में स्वीकार्य होंगे।

46. स्थायी विन्यास निधि:-

(1) धारा-4(2) के प्रावधानों के अनुसार, प्रायोजक निकाय 10 करोड़ रुपये या 7 करोड़ रुपये की स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा।

(2) एक निजी विश्वविद्यालय धारा-46 (1) के अनुसार, केंद्र / राज्य सरकार की प्रतिभूतियों को सरकारी कोषागार के ब्याज वाले व्यक्तिगत जमा खाता (पी0डी0ए0) में जमा की जाने वाली राशि की सावधि जमा रसीद के रूप में स्थायी विन्यास निधि का निवेश करेगा।

(3) एक निजी विश्वविद्यालय सामान्य निधि या विकास निधि से किसी भी राशि को स्थायी विन्यास निधि में स्थानांतरित कर सकता है।

(4) एक निजी विश्वविद्यालय स्थायी विन्यास निधि से होने वाली आय का उपयोग आधारभूत संरचना के विकास के लिए कर सकता है न कि विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय के लिए।

(5) इसके अलावा एक निजी विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि में धारा-46 (1) के अनुसार सदैव एक राशि कायम रखनी होगी।

47. सामान्य निधि:-

(1) प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगा, जिसमें निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी:-

(क) सभी शुल्क जो निजी विश्वविद्यालय द्वारा ली जा सकती है;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी राशियाँ;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा किए गए सभी योगदान;

(घ) इस निमित्त किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा किए गए सभी अंशदान जो कि वर्तमान में प्रभावी किसी कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं हैं; एवं

(2) निजी विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए सामान्य निधि में धनराशि का उपयोग किया जाएगा।

48. विकास निधि:-

(1) प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय एक विकास निधि की भी स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी:-

(क) विकास शुल्क, जो विद्यार्थियों से प्राप्त किया जा सकता है;

(ख) निजी विश्वविद्यालय के विकास के उद्देश्य से अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त राशि;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा किए गए सभी योगदान;

(घ) इस निमित्त किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा किए गए सभी अंशदान जो कि वर्तमान में प्रभावी किसी कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं हैं; एवं

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त सभी आय।

(2) विकास निधि में समय-समय पर जमा धनराशि का उपयोग निजी विश्वविद्यालय के विकास हेतु किया जायेगा।

49. **निधि का अनुरक्षण:-** धारा-46, 47 और 48 के तहत स्थापित निधि, शासी निकाय के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होगी तथा इसे विहित तरीके से विनियमित एवं कायम रखा जाएगा।

50. **सूचना और अभिलेख मांगने की सरकार की शक्ति:-**

(1) निजी विश्वविद्यालय या निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह निजी विश्वविद्यालय के प्रशासन या वित्त और अन्य मामलों से संबंधित ऐसी जानकारी या अभिलेख प्रस्तुत करे, जो सरकार के द्वारा पृच्छित हो।

(2) सरकार यदि यह मानती है कि इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों का उल्लंघन हुआ है, तो धारा-54 के तहत निजी विश्वविद्यालय को ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जैसा वह आवश्यक समझे।

(3) यह निजी विश्वविद्यालय का कर्तव्य होगा कि वह सरकार को सभी प्रासंगिक डेटा (इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा) के प्रावधान को सुनिश्चित करे।

51. **निजी विश्वविद्यालय का विघटन:-**

(1) यदि कोई निजी विश्वविद्यालय किसी भी कारणवश अपना विघटन प्रस्तावित करता है तो उसे सरकार को कम से कम छ: माह की लिखित सूचना देनी होगी। यह लिखित सूचना अंतिम बैच के उत्तीर्ण होने से छः माह पूर्व की होगी।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने पर, सरकार निजी विश्वविद्यालय के विघटन की तिथि से अध्ययन के नियमित पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के अंतिम बैच के अपने अध्ययन के पाठ्यक्रम को इस तरह से पूरा करने तक जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, निजी विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए कोई व्यवस्था करेगी। ऐसे विघटित किए गए निजी विश्वविद्यालयों के नाम और विवरण अनुसूची-IV (झारखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 के अधिनियमन के बाद विघटित निजी विश्वविद्यालयों की सूची) में शामिल किए जायेंगे।

(3) उप-धारा (1) और (2) में उल्लिखित कोई भी बात धारा-8 की उप-धारा (4) (ङ) और (4) (च) के उल्लंघन में नहीं होगी। इसके अतिरिक्त उप-धारा (1) और (2) में उल्लिखित कोई भी तथ्य इस अधिनियम की धारा-8 के उप-धारा (4) (ङ) और (4) (च) तथा धारा 9 (5) (क) के प्रावधानों से विश्वविद्यालय को क्षतिपूर्ति नहीं करेगा।

52. विघटन के दौरान निजी विश्वविद्यालय का व्यय:-

(1) धारा-51 के अधीन किसी निजी विश्वविद्यालय के विघटन की प्रक्रिया के दौरान उसके प्रशासन के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि से की जाएगी।

(2) यदि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट धनराशि निजी विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो इस तरह के व्यय को सरकार द्वारा निजी विश्वविद्यालय की संपत्ति या संपत्ति का निष्पादन करके पूरा किया जा सकता है।

53. सरकार द्वारा निजी विश्वविद्यालय की मान्यता समाप्त करना:-

(1) जब सरकार को वास्तविक और पर्याप्त आरोप वाली शिकायत प्राप्त होती है कि कोई निजी विश्वविद्यालय इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तो सरकार निजी विश्वविद्यालय से ऐसे समय के भीतर स्पष्टीकरण मांगेगी जो निजी विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों नहीं निरस्त कर दी जाए, की शिकायत की प्रति अग्रसारित करने से दो माह से कम नहीं होगा।

(2) यदि उप-धारा (1) के तहत दिए गए सूचना पर निजी विश्वविद्यालय के उत्तर प्राप्ति पर, सरकार संतुष्ट है कि यह प्रथम दृष्टया कार्य-प्रणाली में कुप्रबंधन या निजी विश्वविद्यालय के कामकाज के लिए बनाए गए इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला है, ऐसी जाँच के आदेश देगी, जो वह आवश्यक समझे।

(3) उप-धारा (2) के तहत जाँच के प्रयोजनों के लिए, सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोपों की जाँच हेतु एक अधिकारी या प्राधिकरण को जाँच प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी।

(4) उप-धारा (3) के तहत नियुक्त प्रत्येक जाँच प्राधिकारी को इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों का निष्पादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केंद्रीय अधिनियम-V) के तहत एक मुकदमे की सुनवाई और विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल कोर्ट की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी: -

(क) किसी गवाह को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसका परीक्षण करना;

(ख) किसी दस्तावेज़ की खोज और उपस्थापन की आवश्यकता;

(ग) किसी भी कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति की माँग करना;

(घ) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना; तथा

(ङ) ऐसे अन्य मामले जो निर्धारित किये जा सकते हैं।

(5) निजी विश्वविद्यालय द्वारा उल्लंघन की मात्रा स्थापित करने पर जाँच प्राधिकरण के पास उल्लंघन को वर्गीकृत करने की शक्ति होगी जैसे - मामूली, बड़ा या घोर उल्लंघन एवं उसकी नियुक्ति के तीन माह के अन्दर सरकार को अपना जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। लघु, वृहद एवं घोर उल्लंघन पर क्रमशः जांच समिति, माननीय विभागीय मंत्री एवं राज्य सरकार को निर्णय लेने का अधिकार होगा।

(6) इस खंड की उपधारा (5) में उल्लिखित जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सरकार निजी विश्वविद्यालय को सरकार से संचार/ अधिसूचना जारी होने से 15 दिनों की अवधि के भीतर जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों पर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर सकती है।

(7) यदि सरकार संतुष्ट हो जाती है कि निजी विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है, तो वह निजी विश्वविद्यालय को आवश्यक सुधार करने का निर्देश देगी और इस अधिनियम के प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन के लिए सुझाव देगी।

(8) यदि यह परिलक्षित होता है कि निजी विश्वविद्यालय, उप-धारा (7) में उल्लिखित आवश्यक सुधार करने में विफल रहता है और अधिनियम का लगातार उल्लंघन कर रहा है, जिससे निजी विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंधन और कुप्रशासन की स्थिति पैदा हो रही है, जो निजी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मानकों के लिए खतरनाक है, सरकार निजी विश्वविद्यालय को अमान्य मान सकती है तथा अनुसूची- V (झारखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 के अधिनियमन के बाद मान्यता रद्द किये गए निजी विश्वविद्यालयों की सूची) में निजी विश्वविद्यालय का नाम शामिल कर सकती है तथा निजी विश्वविद्यालय के कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर सकती है।

(9) उप-धारा (8) के तहत नियुक्त प्रशासक इस अधिनियम के अधीन, शासी निकाय के सभी अधिकारों का प्रयोग और सभी कर्तव्यों का पालन करेगा और निजी विश्वविद्यालय के मामलों का संचालन करेगा जब तक नियमित पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों ने अपना पाठ्यक्रम या सिलेबस पूर्ण कर लिया है तथा उन्हें डिग्री, डिप्लोमा या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताऐं, जैसा मामला हो, से सम्मानित कर दिया गया हो।

(10) नियमित पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के अंतिम बैच को, जैसा भी मामला हो, डिग्री, डिप्लोमा या अकादमिक विशिष्टता प्रदान किए जाने के बाद, प्रशासक इस आशय का एक प्रतिवेदन सरकार को समर्पित करेगा।

(11) उप-धारा (10) के तहत रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सरकार सम्यक विचारोपरांत, समान उद्देश्यों वाले किसी अन्य प्रायोजक निकाय में शासी निकाय की शक्तियों को निहित करके निजी विश्वविद्यालय के कामकाज को जारी रख सकती है (यदि निजी विश्वविद्यालय प्रारंभ होने के 15 वर्षों के भीतर मान्यता

रद्द कर दिया गया हो), या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य संबंधित नियामक निकाय के पूर्व अनुमोदन से निजी विश्वविद्यालय की मान्यता को रद्द कर सकती हैं।

(12) उप-धारा (11) के तहत मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया के दौरान, सरकार निजी विश्वविद्यालय के मामलों के प्रबंधन के उद्देश्य के लिए स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग कर सकती है। यदि निजी विश्वविद्यालय की धनराशि निजी विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो सरकार उक्त व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु निजी विश्वविद्यालय की पूंजीयों या संपत्तियों का निष्पादन कर सकती है।

54. निजी विश्वविद्यालय को नीतिगत मामलों पर निर्देश जारी करने की सरकार की शक्ति:-

सरकार समय-समय पर किसी निजी विश्वविद्यालय को ऐसे नीतिगत मामलों पर निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों, जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निर्देशों का अनुपालन निजी विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

55. विघटन या मान्यता रद्द होने पर संपत्ति एवं देनदारियों की स्थिति:-

(1) स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि, विकास निधि या किसी अन्य निधि सहित निजी विश्वविद्यालय की सभी परिसंपत्तियाँ, सम्पतियाँ तथा देनदारियां प्रायोजक निकाय की होंगी, बशर्ते कि निजी विश्वविद्यालय को धारा 51, 52 और 53 में उल्लेखित शर्तों के अधीन अपने प्रारंभ की तारीख से पन्द्रह वर्ष के बाद भंग या मान्यता रद्द कर दिया गया हो ।

(2) उप-धारा (1) में उल्लिखित कोई भी तथ्य प्रायोजक निकाय को धारा-8 के उप-धारा (4) (ङ) और (4) (च), धारा-53 की उप-धारा (12) और धारा-9 की उप-धारा (5) (क) से क्षतिपूर्ति नहीं करेगा।

56. नियम बनाने की सरकार की शक्तियाँ:-

(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम या अधिसूचना को राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

57. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति:- यदि किसी निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के गठन या पुनर्गठन या इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, अधिसूचना द्वारा, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं होगी, ऐसा प्रावधान कर सकती है, जैसा कि कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

58. स्वचालन और पारदर्शिता:- निजी विश्वविद्यालयों को या तो अपनी स्वयं की ई0आर0पी0 प्रणाली (जो नामांकन प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, परीक्षा प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, क्रय प्रबंधन आदि तक सीमित नहीं होगी), विकसित करनी होगी या पारदर्शिता लाने के लिए राज्य द्वारा अनुशंसित ईआरपी पोर्टल पर शामिल होना होगा। निजी विश्वविद्यालय को राज्य द्वारा बनाए गए पोर्टल और एल0एम0एस0 (ज्ञान प्रबंधन प्रणाली इत्यादि) जैसे सूचना प्रौद्योगिकी माध्यमों का अंगीकरण भी सुनिश्चित करना होगा तथा उच्च शिक्षा के लिए राज्यव्यापी प्रबंधन सूचना प्रणाली स्थापित करने के लिए आवश्यक सूचनाएँ प्रदान करनी होगी। यदि कोई निजी विश्वविद्यालय, राज्य द्वारा अनुशंसित ई0आर0पी0और एल0एम0एस0 को अंगीकृत होने का विकल्प देता है, तो विश्वविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा तय की गई लागत वहन करनी होगी। यह राज्य को सीखने, क्रेडिट हस्तांतरण, छात्र डेटाबेस के प्रबंधन आदि में लचीलेपन की सुविधा के उद्देश्य से सूचनाओं का एक केंद्रीकृत संग्रह का निर्माण संभव करेगा।

59. झारखण्ड के न्यायालय में विवादों का निष्पादन किया जाएगा:- इस अधिनियम में किए गए प्रावधानों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का निष्पादन झारखण्ड राज्य के न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

60. निरसन तथा संरक्षण :-

(1) इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची- I (List of the Acts and Universities to be repealed after the enactment of 'The Jharkhand Private University Act, 2024') में वर्णित सभी अधिनियम इस अधिनियम के प्रभावी होने पर निरस्त हो जाऐंगे।

(2) 'झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024' के सभी प्रावधान अनुसूची-II ('झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024' के अधिनियमन से पहले के निजी विश्वविद्यालयों की सूची) में उल्लिखित निजी विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे, सिवाय इसके कि भूमि, बुनियादी ढांचे और विन्यास निधि का प्रावधान। अनुसूची- I में उल्लिखित प्रचलित अधिनियमों के भीतर भूमि, बुनियादी ढांचे और विन्यास निधि से संबंधित प्रावधान को संरक्षित किया जायेगा एवं उक्त अधिनियमों के निरस्त होने के बावजूद लागू रहेंगे, उन निजी विश्वविद्यालयों को छोड़कर, जिनके अधिनियमों में भूमि और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया है। इस अधिनियम की धारा-4 में उल्लिखित भूमि और बुनियादी ढांचे का प्रावधान उन निजी विश्वविद्यालयों पर लागू होगा जिनके निरस्त अधिनियमों में भूमि और बुनियादी ढांचे के लिए विशिष्ट प्रावधान नहीं हैं।

(3) उप-धारा (1) में उल्लिखित अनुसूची- I में वर्णित अधिनियमों के निरस्त होने के बावजूद, निरस्त अधिनियमों के तहत लिए गए सभी निर्णय, कार्य तथा विश्वविद्यालयों द्वारा बनाए एवं समाप्त किए गए अधिकारों और देनदारियों को इस अधिनियम के अंतर्गत वैध माना जाएगा।

(4) इस अधिनियम में शामिल विश्वविद्यालय अपने संबंधित निरस्त अधिनियमों के तहत, इस धारा की उपधारा (2) में उल्लिखित प्रावधानों को छोड़कर, अपने नियमों, परिनियमों, विनियमों और उन पर

लागू अन्य प्रावधानों को इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के अन्दर संशोधित करेंगे, ताकि उन्हें इसके प्रावधानों के अनुरूप लाया जा सके। इसके अलावा, अनुसूची- I में उल्लेखित सूचीबद्ध मौजूदा निजी विश्वविद्यालयों को अपने सम्बंधित निरस्त अधिनियम के अनुसार झारखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 के लागू होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अन्दर अपने सम्बंधित निरस्त अधिनियम के अनुसार भूमि, बुनियादी ढांचे और विन्यास निधि के प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता है।

(5) सरकार अनुसूची-II ('झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024' के लागू होने से पहले के निजी विश्वविद्यालयों की सूची) में उल्लिखित अनुसार विश्वविद्यालयों को अनुपालन पत्र (परिशिष्ट-5) जारी करेगी, जिसमें उन्हें इस धारा की उपधारा (2), (4) और (6) में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करने का निर्देश दिया जाएगा।

(6) विश्वविद्यालय, अनुपालन पत्र (परिशिष्ट-5) जारी होने के तीस (30) दिनों के भीतर पांच (5) **वर्ष या** सोलह (16) वर्ष की अवधि के लिए अस्तित्व के वर्षों की संख्या घटाकर, जो भी अधिक हो,1 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी (बी0जी0) के रूप में एक प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करेंगे ।

(7) विश्वविद्यालयों को अनुपालन पत्र जारी होने के तीन वर्ष के भीतर एक हलफनामा और आवश्यक दस्तावेजों के साथ उप-धारा (2), (4) और (6) में उल्लिखित शर्तों और समय-सीमा के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करनी होगी।

(8) अनुपालन रिपोर्ट के सत्यापन के बाद संतुष्ट होने पर सरकार मौजूदा विश्वविद्यालयों के लिए जाँच समिति के माध्यम से अनुपालन रिपोर्ट जमा करने के साठ (60) दिनों के भीतर अनुमोदन पत्र (एल0ओ0ए0), परिशिष्ठ-6 के अनुसार जारी करेगी।

(9) यदि जाँच समिति सरकार को रिपोर्ट करती है कि मौजूदा विश्वविद्यालय इस खंड के उप-खंड (2), (4) और (6) में उल्लिखित किसी शर्त का पूरी तरह का अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो; सरकार ऐसे मामलों पर विचार कर सकती है और उपयुक्त कार्रवाई कर सकती है जैसा वह उचित समझे।

(10) झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 की अधिसूचना जारी होने से लेकर अनुमोदन पत्र जारी होने तक की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय यथावत कार्य करते रहेंगे और अपना नियमित शैक्षणिक कार्य और संचालन करते रहेंगे।

अनुसूची/ Schedule-I

List of the Acts to be repealed (after the enactment of 'The Jharkhand Private Universities Act, 2024')

Sl. No.	Details of the Act	Name of the University	Name of the Sponsoring Body
1	The Institute of Chartered Financial Analysts of India University Act, 2006 (Jharkhand Act, 08 of 2007) Notification dated 27.07.2012	The Institute of Chartered Financial Analysts of India University, Ranchi.	The Institute of Chartered Financial Analysts of India, Andhra Pradesh
2	Jharkhand Rai University, Jharkhand Act, 2011 (Jharkhand Act, 03 of 2012) Notification dated 30.01.2012 Jharkhand Rai University (Amendment) Jharkhand Act, 2018 (Jharkhand Act 05 of 2019) Notification dated 07.02.2019	Jharkhand Rai University, Ranchi, Jharkhand	Rai Business School, New Delhi
3	Sainath University, Jharkhand Act, 2012 (Jharkhand Act, 15 of 2012) Notification dated 31.03.2012 Sainath University, (Amendment) Act, 2018 (Jharkhand Act, 17 of 2018) Notification dated 26.10.2018	Sainath University, Jharkhand	Sai Nath University Trust, Agra
4	The Usha Martin University, Jharkhand Act, 2012 Notification dated 04.02.2013 The Usha Martin University (Amendment) Jharkhand Act, 2018 (Jharkhand Act, 18 of 2018) Notification dated 26.10.2018	Usha Martin University, Jharkhand	Usha Martin University Foundation, R.N. Mukherjee Road, Kolkata
5	Amity University Act, 2016 (Jharkhand Act, 13 of 2016) Notification dated 13.05.2016	Amity University, Ranchi, Jharkhand	Ritnand Balved Education Foundation AKC House, E-27, Defense Colony, Ring Road, New Delhi-110024
6	The AISECT University Act, 2016 (Jharkhand Act, 12 of 2016) Notification dated 13.05.2016	AISECT University, Hazaribagh, Jharkhand	AISECT Scope Campus, NH-12, Bhaironpur (Near Misrod), Hoshangabad Road, Bhopal (M.P.)
7	The Sarla Birla University Act, 2017 (Jharkhand Act, 13 of 2017) Notification dated 04.07.2017	Sarla Birla University, Ranchi, Jharkhand	Bharat Arogya And GyanMandir, Birla Campus, Vill.- Ara, P.O.- Mahilong, Ranchi- Puruliya Highway, Ranchi- 835 103
8	The Y.B.N. University Act, 2017 (Jharkhand Act, 15 of 2017) Notification dated 04.07.2017	Y.B.N. University, Ranchi, Jharkhand	Tribal Social Welfare Society, Panchwati, South Railway Colony, Chutia, Ranchi-1
9	The Arka Jain University Act, 2017 (Jharkhand Act, 14 of 2017) Notification dated 04.07.2017	Arka Jain University, Gamharia, Saraikela-Kharsawan, Jharkhand	The Arka Educational and Cultural Trust(The JGI Group) Head Office- 091/2Dr. A. N. Krishna Rao Road, V. V. Puram, Banglore-560004, Regional Head Office- D-28, Danish Arcade, Opp. Asian Inn

			Hotel,Dhatkidih, P.SBistupur, Jamshedpur-831001
10	The Capital University Act, 2018 (Jharkhand Act, 13 of 2018) Notification dated 11.10.2018	Capital University, Koderma, Jharkhand	Ch. Charan Singh Educational Society, South Extension-I, New Delhi-110049
11	The Ramkrishna Dharmarth Foundation (RKDF) University Act, 2018 (Jharkhand Act, 22 of 2018) Notification dated 06.12.2018	Ramkrishna Dharmarth Foundation (RKDF) University, Ranchi, Jharkhand	Ayushmati Education and Social Society, Coorporate Office: 202, Zone-1, Ganga Jamuna Complex, M.P. Nagar, Bhopal,
12	The Netaji Subhash University Act, 2018 (Jharkhand Act, 11 of 2018) Notification dated 19.09.2018	Netaji Subhash University, Jamshedpur, Jharkhand	Sitwanto Devi Mahila Kalyan Sansthan, Suraj Path, Baridih, East Singbhum, Pokhari, Jamshedpur
13	The Radha Govind University Act, 2018 (Jharkhand Act, 14 of 2018) Notification dated 11.09.2018	Radha Govind University, Ramgarh, Jharkhand	Radha Govind Shiksha Swasthya Trust, Ramgarh, Goushala Road, Vikash Nagar, Ramgarh
14	The Ramchandra Chandravanshi University Act, 2018 (Jharkhand Act, 10 of 2018) Notification dated 19.09.2018	Ramchandra Chandravanshi University, Palamu, Jharkhand	Ramchandra Chandravansi Welfare Trust, Ratu Road, Ranchi, Astha Regency, Flat No. 15, Triplex, 12A/2007-08
15	The Srinath University Act, 2021 (Jharkhand Act, 07 of 2021) Notification dated 03.09.2021	Srinath University, Jamshedpur, Jharkhand	Sandhya Shambhu Educational Trust, 112, 1st Floor, Ashiana Trade Centre, Adityapur, Jamshedput-831013
16	The Azim Premji University Act, 2022 (Jharkhand Act, 09 of 2022) Notification dated 22.09.2022	Azim Premji University, Ranchi, Jharkhand	Azim Premji Foundation for Development #134, Doddakannelli, Next to Wipro Corporate Office, Sarjapur Road, Bengaluru – 560 035
17	The Sona Devi University Act, 2022 (Jharkhand Act, 05 of 2023) Notification dated 17.02.2023	Sona Devi University, Ghatshila, Jharkhand	Sona Devi Memorial Educational Foundation Trust, Kitadih, Ghatshila, East Singhbhum, Jharkhand-832303
18	Babu Dinesh Singh University Act, 2022 (Jharkhand Act, 06 of 2023) Notification Dated 17.02.2023	Babu Dinesh Singh University, Garhwa, Jharkhand	Vananchal Educational and Welfare Trust, Aptech Building, S.D.O Road, Near F.C.I. Godown, Hajipur-844101
19	Durga Soren University Act, 2023 (Jharkhand Act, 09 of 2023) Notification Dated 02.06.2023	Durga Soren University, Deoghar, Jharkhand	Shivam Trust, Bompass Town, B. Deoghar-814114

अनुसूची/ Schedule-II

List of the existing Private Universities before the enactment of 'The Jharkhand Private Universities Act, 2024' (falling under the ambit of this Act)

Sl. No.	Name of the University	Name of the Sponsoring Body
1	The Institute of Chartered Financial Analysts of India University, Ranchi.	The Institute of Chartered Financial Analysts of India, Andhra Pradesh
2	Jharkhand Rai University, Ranchi, Jharkhand	Rai Business School, New Delhi
3	Sainath University, Jharkhand	Sai Nath University Trust, Agra
4	Usha Martin University, Jharkhand	Usha Martin University Foundation, R.N. Mukherjee Road, Kolkata
5	Amity University, Ranchi, Jharkhand	Ritnand Balved Education Foundation AKC House, E-27, Defense Colony, Ring Road, New Delhi-110024
6	AISECT University, Hazaribagh, Jharkhand	AISECT Scope Campus, NH-12, Bhaironpur (Near Misrod), Hoshangabad Road, Bhopal (M.P.)
7	Sarla Birla University, Ranchi, Jharkhand	Bharat Arogya And GyanMandir, Birla Campus, Vill.- Ara, P.O.- Mahilong, Ranchi- Puruliya Highway, Ranchi- 835 103
8	Y.B.N. University, Ranchi, Jharkhand	Tribal Social Welfare Society, Panchwati, South Railway Colony, Chutia, Ranchi-1
9	Arka Jain University, Gamharia, Saraikela-Kharsawan, Jharkhand	The Arka Educational and Cultural Trust(The JGI Group) Head Office-091/2Dr. A. N. Krishna Rao Road, V. V. Puram, Banglore-560004, Regional Head Office- D-28, Danish Arcade, Opp. Asian Inn Hotel,Dhatkidih, P.SBistupur, Jamshedpur-831001
10	Capital University, Koderma, Jharkhand	Ch. Charan Singh Educational Society, South Extension-I, New Delhi-110049
11	Ramkrishna Dharmarth Foundation (RKDF) University, Ranchi, Jharkhand	Ayushmati Education and Social Society, Coorporate Office: 202, Zone-1, Ganga Jamuna Complex, M.P. Nagar, Bhopal,
12	Netaji Subhash University, Jamshedpur, Jharkhand	Sitwanto Devi Mahila Kalyan Sansthan, Suraj Path, Baridih, East Singbhum, Pokhari, Jamshedpur
13	Radha Govind University, Ramgarh, Jharkhand	Radha Govind Shiksha Swasthya Trust, Ramgarh, Goushala Road, Vikash Nagar, Ramgarh
14	Ramchandra Chandravanshi University, Palamu, Jharkhand	Ramchandra Chandravansi Welfare Trust, Ratu Road, Ranchi, Astha Regency, Flat No. 15, Triplex, 12A/2007-08

15	Srinath University, Jamshedpur, Jharkhand	Sandhya Shambhu Educational Trust, 112, 1st Floor, Ashiana Trade Centre, Adityapur, Jamshedput-831013
16	Azim Premji University, Ranchi, Jharkhand	Azim Premji Foundation for Development #134, Doddakannelli, Next to Wipro Corporate Office, Sarjapur Road, Bengaluru – 560 035
17	Sona Devi University, Ghatshila, Jharkhand	Sona Devi Memorial Educational Foundation Trust, Kitadih, Ghatshila, East Singhbhum, Jharkhand-832303
18	Babu Dinesh Singh University, Garhwa, Jharkhand	Vananchal Educational and Welfare Trust, Aptech Building, S.D.O Road, Near F.C.I. Godown, Hajipur-844101
19	Durga Soren University, Deoghar, Jharkhand	Shivam Trust, Bompass Town, B. Deoghar-814114

अनुसूची/ Schedule-III

List of the new Private Universities established (after the enactment of 'The Jharkhand Private Universities Act, 2024')

Sl. No.	Details of the Act	Name & Location of the University	Name of the Sponsoring Body
1			
2			
3			
4			

अनुसूची/ Schedule-IV

List of the Private Universities dissolved (after the enactment of 'The Jharkhand Private Universities Act, 2024')

Sl. No.	Details of the Act	Name & Location of the University	Name of the Sponsoring Body
1			
2			
3			
4			

अनुसूची/ Schedule-V

List of the Private Universities derecognized (after the enactment of 'The Jharkhand Private Universities Act, 2024')

Sl. No.	Details of the Act	Name & Location of the University	Name of the Sponsoring Body
1			
2			
3			
4			

परिशिष्ट/Annexure-1

Checklist for Evaluation of Proposal Submitted by Sponsoring Body

Sl. No.	Supporting Documents to be submitted by Sponsoring Body (Applicant) stating	Tick (✓)whichever Applicable			Remarks, If Any
		Yes	No	Not Applicable	
1	The necessity of establishment of the proposed Private University				
2	The details of the sponsoring body along with copies of its registration certificate under **(Choose one among 2a,2b and 2c)**				
2a.	The Indian Trusts Act, 1882 (Central Act 2 of 1882) or				
2b.	The Societies Registration Act, 1860 or				
2c.	The Companies Act, 2013, (Central Act 13 of 2013)				
2d.	Whether minority (religious or linguistics)				
3	The track record, experience, and domain expertise in the proposed disciplines				
4	The name, location and headquarters of the proposed Private University				
5	The objectives of the Private University				
6	The availability of academic facilities including teaching and non-teaching staff, if any, at the disposal of the sponsoring body				
7	The details of plans for campus development such as, construction of buildings, development of structural amenities and infrastructure facilities and procurement of equipment for starting the Private University				
8	The phased outlays of capital expenditure and its sources of finance				
9	The nature, type of programmes and courses of study proposed to be undertaken by the Private University				
9a	The research and innovation projects proposed to be undertaken by the Private University				
10	The nature of facilities proposed to be started by the Private University				
11	The scheme of mobilizing resources and the cost of capital thereto and the manner of repayment to such sources				
12	The projected detailed financial statements and key operating ratios with a detailed break-up of sources of revenues generated internally				
13	The system proposed to be followed for selecting students for admission to the courses of study at the Private University				
14	The system proposed for appointment of teachers and other employees in the Private University				

15	The nature of specialized teaching, training, or research activities to be undertaken by the Private University including those related to the local needs, so as to fulfil its objects				
16	The details of playgrounds and other facilities available or proposed to be created for games and sports and extracurricular activities like National Cadet Corps and National Service Scheme				
17	The proposed approach and initial plans for academic and research excellence, including accreditations to be sought and academic auditing				
18	The concessions or rebates in fee and scholarships, if any, to be granted by the Private University to the students from economically or socially backward families, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other Backward Classes and differently abled students				
19	The commitment to follow the norms of the regulatory bodies like UGC, AICTE, MCI etc.				
20	Is applicant an existing private educational institution **(if yes fill sub-sections 20a, 20b, 20c and 20d)**				
20a	Has the institution been approved by relevant statutory bodies/councils In addition, the institute must submit a NOC from the University in case it is already affiliated to a university at the time of making the application				
20b	Does the institution have approval for their academic programs from respective statutory bodies like UGC, AICTE, MCI, DCI, NCTE, BCI, INC etc				
20c	Audited accounts report				
20d	Does the Institute possess necessary academic and physical infrastructure as prescribed by respective statutory/regulatory bodies concerned				

परिशिष्ट/Annexure-2

Letter of Intent (LoI) for establishing new Private University in Jharkhand

Letter No..

Government of Jharkhand

Department of Higher and Technical Education

Nepal House, Doranda, Ranchi, Jharkhand- 834002

From,

To,

Ranchi, Dated............................

Subject: Letter of Intent (LoI) for establishing new Private University in Jharkhand

Sir/Madam,

As you are aware, the Government of Jharkhand has made 'The Jharkhand Universities Act, 2024' for the establishment and incorporation of Private Universities in the State of Jharkhand with a view to improve access to higher education in the State and to enhance the Gross Enrolment Ratio (GER) and also to improve the overall quality of higher education in Jharkhand by encouraging reputed educational institutions to set up new institutions in the State. The basic idea is to promote, conceptualize and bring about a paradigm shift through development of outstanding leadership, research, knowledge and ideas for education and allied development sectors and also to provide world class higher educational institutions in the State.

Since you have applied and submitted your proposal and detailed project report to establish a Multidisciplinary Private University in Jharkhand and have tried considerably to comply with 'The Jharkhand Universities Act, 2024' as contained in Jharkhand Official Gazette, Extra-ordinary edition, No. ...., Ranchi, day, dated......; the Scrutiny Committee examined your above-mentioned proposal and has submitted its report to the Government of Jharkhand in this regard. As the State Government is satisfied that it is advisable to establish a Private University in Jharkhand as per your proposal, this letter of intent (LoI) is hereby issued to you, and simultaneously, you are being directed to:

(a) possess contiguous land of not less than:
   (i) a minimum of 05 acres of land within municipal corporation limits; and
   (ii)a minimum of 15 acres of land outside municipal corporation.
   sponsoring body must acquire the land as specified within a period of one year from the issue of this letter of intent (LoI).

(b) create a Permanent Endowment Fund as given below:
   (i) Rs 10 Crore for land possessed within municipal corporation limits; and
   (ii) Rs 7 Crore for land possessed outside municipal corporation.

Permanent endowment fund shall be invested in the form of Fixed Deposit Receipt of the amount as per section 46(1) of Central/State government securities to be deposited in an interest bearing Personal Deposit Account (PDA) of the government treasury.

(c) construct on land at least 12000 Sqm of built up area for administrative and academic purpose including library, lecture theatre, auditorium, student resource centres, sports facilities and laboratories. Adequate residential accommodations for teachers, guest houses, hostels, should be constructed, which shall gradually be increased to accommodate at least 25% of student strength in each course within 3 years of existence. The University should be built on the principles of a Green Campus which should be using energy efficient appliances and set up water harvesting facilities. In case University is conducting professionals' program of study, prevailing norms and standards of UGC and respective statutory body shall be applicable.

(d) install equipment, computers, furniture, assets, infrastructural facilities other than building and other consumables and non-consumables as the norms prescribed by UGC and the respective statutory body.

(e) purchase of books, journals, periodicals and online resources as per the norms of UGC and the respective regulating bodies and give undertaking to invest within first three years not less than a sum of 50 Lakhs or as per the norms of UGC and the regulating bodies, whichever is higher, on books, journals, periodicals, online resources, computers, library networking, and other facilities to make the library facilities adequate for contemporary teaching and research.

(f) give undertaking to appoint at least one Professor, two Associate Professors and three Assistant Professors having prescribed qualifications by UGC and necessary supporting staff members in each department or discipline. At least seventy-five per cent of the regular teachers in each department/discipline shall be regular employees of the University.

(g) give undertaking for the reservation of non-teaching posts in the university for the persons domiciled in the state of Jharkhand to the extent of at least Seventy Five percent of the total number of non-teaching posts of the University. The reservation of seats shall be regulated by the laws and orders of the State Government from time to time.

(h) give undertaking for establishment of provident fund and also to take up welfare programs for the employees of the University.

(i) fulfill such other conditions and provide such other information as may be prescribed by the University Grants Commission, All India Council for Technical Education or any other statutory body established by the law of the Union or State Government.

(j) give undertaking not to dissolve the University before 15 years of its commencement and if the University is dissolved before 15 years of its commencement all the assets of the University without liabilities and free from all encumbrances shall vest with the Government.

(k) give undertaking that all the assets of the University without liabilities and free from all encumbrances will vest with the Government if the University is dissolved before a period of 15 years of its commencement or derecognized on account of the contravention of

provisions of the Act, Rules, Statutes, Ordinances, Regulations, Directives of the Government, and other statutory bodies.

(l) submit a security deposit, within thirty (30) days of the issuance of this LoI, in the form of a Bank Guarantee (BG) of Rs 25 lakhs valid for a period of 6 years.

(m) In case an application is made by an existing educational institution for the status of Private University as per Section 6(2) it shall comply to the conditions, application, and processes for establishment as mentioned under Section 4, Section 5, Section 6, Section 7 and Section 8. Notwithstanding anything mentioned in the sections for conditions, application, and process of establishment, the existing institution shall continue to function as is basis their existing affiliation and approval till a period of four years after the issuance of LoI or the passing of the last batch whichever is earlier, however on issueance of LoI no new batches shall be admitted by the Institution.

If you agree to the conditions mentioned above, please take necessary actions and give required undertakings, so that the State Government can do the needful to take further actions in this regard.

Moreover, you are directed to submit a compliance report, within three years from the date of issue of this LoI, to the State Government, along with an unambiguous affidavit, necessary documents to the effect that all conditions referred to as hereinabove in the LoI have been fulfilled on your part, so that the State Government can verify the compliance report submitted by you and take further action in this regard.

Yours faithfully,
(Name)
Director, Higher Education

परिशिष्ट/Annexure-3

Letter of Incorporation for incorporating new Private University in Jharkhand

Letter No..

Government of Jharkhand
Department of Higher and Technical Education
Nepal House, Doranda, Ranchi, Jharkhand- 834002

From,

To,

Ranchi, Dated...........................

Subject: Letter of Incorporation for incorporating new Private University in Jharkhand

Sir/Madam,

We are glad to inform you that the compliance report submitted by you with regard to the letter of intent (date, details of the letter) for establishment of a new Multidisciplinary Private University in Jharkhand, has been verified and accepted by the State Government. The State Government has published a notification in its Official Gazette (Date & details of the notification) allowing the University to be established under 'The Jharkhand Private Universities Act, 2024'. The copy of the said notification is attached herewith.

As the State Government has issued notification, this **letter of incorporation** is hereby being issued to you, and simultaneously, you are being directed to:

(a) submit a security deposit in the form of a Bank Guarantee (BG) of Rs 1 Crore (valid for a period of 16 years) from the date of issuance of this Letter of Incorporation, which shall be invoked by the Government, in case of dissolution or derecognition as stated in section 51, section 53, and (4)(e) of section 8 and (4)(f) of section 8 of the respectively of 'The Jharkhand Private Universities Act, 2024'.

(b) make an application to University Grants Commission to enlist the newly incorporated University in the UGC List of Authorized Universities.

(c) The University must meet the norms, notification, regulations and guidelines as laid down by UGC from time to time, offer all academic and non-formal courses as per UGC guidelines on the same, adhere to the nomenclature of degrees and programs as specified under the UGC Act and set up statutes, regulations, rules and authorities like The Governing Body, The Board of Management, The Academic Council, Finance Committee and other Committees and Boards to deal with governance, academic, administration and financial issues;

(d) The University shall maintain standards, higher than the minimum, of instruction, academic and physical infrastructure, qualifications of teachers, etc. as prescribed for

college level institutions by the Statutory/Regulatory body concerned, such as All India Council for Technical Education (AICTE), Medical Council of India (MCI),Dental Council of India (DCI), National Council for Teachers Education(NCTE), Bar Council of India (BCI), Indian Nursing Council (INC), etc. and shall obtain their approval for running various programs of study as applicable.

You are required to fulfill the above conditions of the letter of incorporation, within a period of two (2) years from the date of issue of **this letter of incorporation.**

You are further directed to submit an affidavit to the Government, along with necessary documents to the effect that all the conditions mentioned in the **letter of incorporation** have been fulfilled on your part, so that the State Government can verify the affidavit and the report submitted by you and take further action in this regard.

Yours faithfully,
(Name)
Director, Higher Education

परिशिष्ट/Annexure-4

Letter of Approval for Commencement of New Private University in Jharkhand

Letter No ....

Government of Jharkhand
Department of Higher and Technical Education
Nepal House, Doranda, Ranchi, Jharkhand- 834002

From,

To,

Ranchi, Dated............................

Subject: Letter of Approval (LoA) for commencement of new Private University in Jharkhand

Sir/Madam,

We are glad to inform you that the affidavit and the documents submitted by you with regard to the letter of incorporation issued to you (date, details of the letter) for incorporation of a new Multidisciplinary Private University in Jharkhand, has been verified and accepted by the State Government. Further, the State Government has already published a notification in its Official Gazette (Date & details of the notification) allowing the establishment of the University under 'The Jharkhand Private Universities Act, 2024'. The copy of the said notification is attached herewith.

Now, this **letter of approval** is hereby being issued to you, for the commencement of the regular operations of the Private University from (effective date.........)

We congratulate you for your commitment towards the quality improvement of the higher education in the State of Jharkhand. We trust that the University will align itself with the National Education Policy, 2020 and work towards meeting the stated objectives of the University following the norms, guidelines and regulations as laid by time to time by University Grants Commission (UGC) and other relevant statutory/regulatory bodies.

Please note that the Government may issue such directions, from time to time, to the Private University on policy matters not inconsistent with the provisions of the 'Jharkhand Private Universities Act, 2024' as it may deem necessary. Such directions shall be complied with by the Private University.

Yours faithfully,

(Name)
Director, Higher Education

परिशिष्ट/Annexure-5

Letter of Adherence for existing Private University

Government of Jharkhand

Department of Higher and Technical Education

Nepal House, Doranda, Ranchi, Jharkhand-834002

From,

To,

Ranchi, Dated.........................

Subject: Letter of Adherence for the existing Private University

Sir/Madam,

We congratulate you for your commitment towards the quality improvement of the higher education in the State of Jharkhand. We trust that the University is aligning itself with the National Education Policy, 2020 and working continuously towards meeting the stated objectives of the University following the norms, guidelines and regulations as laid by time to time by University Grants Commission (UGC) and other relevant statutory/regulatory bodies.

As you are aware the State Government has enacted **'The Jharkhand Private Universities Act, 2024'** (Date, details of the notification of the Act). This Act is meant to function as an umbrella Act to govern all the Private Universities under a common law. We wish to inform you that by virtue of the enactment of 'The Jharkhand Private Universities Act, 2024'all the previous individual Private Universities Acts ratified before the enactment of 'The Jharkhand Private Universities Act, 2024'stand repealed. However, please note that notwithstanding the repeal of the Acts as enumerated in the Schedule I of 'The Jharkhand Private Universities Act, 2024' (List of the Acts and Universities to be repealed after the enactment of 'The Jharkhand Private Universities Act, 2024'), all the decisions made, acts performed, rights and liabilities created and exhausted by the Universities established under the repealed Acts shall be deemed to be valid under newly enacted 'The Jharkhand Private Universities Act, 2024'.

This **letter of adherence** is hereby being issued to you for your further action. You are requested to comply the following conditions as per the suggested timeline:

(a) submit a security deposit in the form of a Bank Guarantee (BG) of Rs 1 Crore, within thirty (30) days of the issuance of the Letter of Adherence, valid for a period of five (5) years or sixteen (16) years minus number of years of existence of the University, whichever is higher.

(b) modify the Statutes, Ordinances, Regulations and other Provisions applicable thereto under the respective repealed Acts, to bring them in conformity with the provisions of the newly enacted 'The Jharkhand Private Universities Act, 2024' within a period of three years from the date of commencement of this new Act.

(c) comply with the requirements of land, infrastructure and endowment fund as per its repealed Act under which the University has been enumerated as mentioned in Schedule I, within the period of three years from the date of commencement of this new Act.

You are further directed to submit a compliance report, within 3 years from the issuance of the Letter of Adherence to the Government, along with an affidavit and the necessary documents to the effect that the conditions mentioned above have been fulfilled on your part, so that the State Government can verify the report submitted by you and take further action in this regard.

Yours faithfully,

(Name)

Director, Higher Education

परिशिष्ट/Annexure-6

Letter of Approval for existing Private University

Letter No..

Government of Jharkhand
Department of Higher and Technical Education
Nepal House, Doranda, Ranchi, Jharkhand- 834002

From,

To,

Ranchi, Dated............................

Subject: Letter of Approval (LoA) for the existing Private University in Jharkhand

Sir/Madam,

We congratulate you for your commitment towards the quality improvement of the higher education in the State of Jharkhand. We trust that the University is aligning itself with the National Education Policy, 2020 and working continuously towards meeting the stated objectives of the University following the norms, guidelines and regulations as laid by time to time by University Grants Commission (UGC) and other relevant statutory/regulatory bodies.

As you are aware the State Government has enacted 'The Jharkhand Private Universities Act, 2024' (Date, details of the notification of the Act). This Act is meant to function as an umbrella Act to govern all the Private Universities under a common law. We are glad to inform you that the compliance report and the documents submitted by you with regard to section 60(3) & 60(4) for modification of the Statutes, Ordinances and Regulations applicable thereto under your respective repealed Act (name & details of the repealed Act), to bring them in conformity with the provisions of 'The Jharkhand Private Universities Act, 2024', has been verified and accepted by the State Government.

This **letter of approval** is hereby being issued to you, attesting that you have complied with the provisions of section 60(3) & 60(4) of 'The Jharkhand Private Universities Act, 2024'.

Please note that the Government may issue such directions, from time to time, to the Private University on policy matters not inconsistent with the provisions of the 'Jharkhand Private Universities Act, 2024' as it may deem necessary. Such directions shall be complied with by the Private University.

Yours faithfully,

(Name)
Director, Higher Education

उद्देश्य एवं हेतु

झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 बनाने के लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. यह विधेयक झारखंड राज्य में प्रायोजक निकायों अर्थात न्यास या समूह या गैर-लाभकारी कंपनियों द्वारा निजी क्षेत्र के अंतर्गत एकात्मक प्रकृति के नये विश्वविद्यालयों को स्थापित और निगमित करने का एक साधन है | ऐसे विश्वविद्यालय शिक्षा में आमूल परिवर्तन की संकल्पना करने एवं इसे बढ़ावा देने का माध्यम होंगे| उत्कृष्ट नेतृत्व, शोध, शिक्षा, और विचार-विमर्श के माध्यम से शिक्षा के परिदृश्य एवं इससे संबद्ध विकास-क्षेत्रों में परिवर्तन आएगा और राज्य में विश्व-स्तर के उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित होंगे|

2. यह विधेयक एक समान कानून के तहत सभी निजी विश्वविद्यालयों को शासित करने के लिए एक व्यापक अधिनियम के रूप में कार्य करने के लिए है।

3. चूंकि राज्य में अब तक स्थापित विभिन्न विश्वविद्यालयों के विभिन्न अधिनियमों में अलग-अलग प्रावधान हैं और ऐसी निजी विश्वविद्यालयों की निगरानी के लिए कोई समान प्रावधान नहीं है, यह अधिनियम राज्य सरकार की नीतियों को लागू करने तथा, जानकारी एकत्र करने और रिकॉर्ड करने में सुविधा प्रदान करेगा और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के मानकों को लागू करने में सहायक होगा ।

4. इस अधिनियम के तहत एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के इच्छुक कोई भी प्रायोजक निकाय, सरकार को आवेदन करेगा, जिसमें प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्य और दृष्टि की रूपरेखा, एक निर्धारित शुल्क के साथ एक निर्दिष्ट तरीके से परियोजना रिपोर्ट, जैसा की विहित है, शामिल होगा।

5. सरकार किसी भी प्रायोजक निकाय को निजी विश्वविद्यालय (बहुविषयक) की स्थापना की अनुमति निजी विश्वविद्यालय का नाम, उसका स्थान और प्रायोजक निकाय का विवरण इस अधिनियम से जुड़ी अनुसूची-III में शामिल करके अनुमति दे सकती है । राज्य में एक नया निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रायोजक निकाय को इस अधिनियम के तहत बताई गई सभी शर्तों को पूरा करना होगा।

6. सरकार समय-समय पर निजी विश्वविद्यालय को ऐसे नीतिगत मामलों पर निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों, जैसा वह आवश्यक समझे। इस तरह के निर्देशों का निजी विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

अतः यह विधेयक, प्रस्तावित है।

चम्पाई सोरेन
(भार साधक सदस्य)

झा०रा०मु०राँची (विधि) 4(A)--200--30-7-2024